सत्यमेव जयते

पंचदश बिहार विधान-सभा के पंचदश एवं षोडश सत्र के अनागत अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नोत्तरों की कुल संख्या 94 (चौरानवे) ।

क्रमांक	माननीय सदस्यों के नाम	सांकेतिक चिह्न	पृष्ठ
	पंचदश सत्र		
1	श्री अनिल सिंह	लघु-1	1
2	श्री कुमार शैलेन्द्र	लघु-3	1
3	श्री मंजीत कुमार सिंह	लघु-2	1-2
4	श्रीमती मंजू कुमारी	लघु-15	2-3
5	श्री निरंजन राम	लघु-13	3
6	श्री राम नरेश प्र० यादव	लघु-5	3-4
7	श्री सुबोध राय	लघु-9	4
8	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा	लघु-14	5
9	श्रीमती (डॉ०) उषा विद्यार्थी	लघु-11	5
10	श्रीमती (डॉ०) उषा विद्यार्थी	लघु-12	
	षोडश सत्र		
1	श्री अमन कुमार	ग्राम्य-129	6
2	श्री अमरनाथ गामी	ग्राम्य-370	6
3	श्री अरूण शंकर प्रसाद	ग्राम्य-146	6
4	श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय	ग्राम्य-130, ग्राम्य-129	7
5	डॉ० अच्युतानन्द	क-8, अ०सू०-7, पथ-20	7-8
6	डॉ० अरूण कुमार	ग्राम्य-381, ग्राम्य-344	9
7	श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी	अ०सू०-8	9-10
8	श्री अरूण माँझी	सामु-34	10
9	डॉ० अब्दुल गफूर	पथ-32	10-11
10	श्री आनन्दी प्रसाद यादव	पथ-42	11
11	श्री अरूण कुमार सिन्हा	पथ-107	11-12
12	श्री बृजकिशोर बिन्द	ग्राम्य-307	12
13	श्री चितरंजन कुमार	ग्राम्य-235	12
14	श्री दिनेश प्रसाद	पथ-104	13
15	श्री दिनेश कुमार सिंह	पथ-63	13-14
16	श्रीमती दिलमरणी देवी	पथ-68	14
17	श्रीमती देवन्ती यादव	पथ-85	14-15

क्रमांक	माननीय सदस्यों के नाम	सांकेतिक चिह्न	पृष्ठ
	षोडश सत्र		
18	डॉ० दाउद अली	सामु-5	15
19	डॉ० फैयाज अहमद	ग्राम्य-245	15-16
20	श्रीमती गुड्डी देवी	ग्राम्य-145	16
21	श्री गोपालजी ठाकुर	पथ-99, पथ-100, त-5,	16-17
22	श्रीमती गुलजार देवी	ग्राम्य-212	18
23	श्री हरिनारायण सिंह	पथ-87	18-19
24	डॉ० इजहार अहमद	ग्राम्य-101	19
25	श्री जितेन्द्र कुमार	पथ-81	20
26	श्री जवाहर प्रसाद	पथ-11	20
27	श्री कृष्णनन्दन पासवान	पथ-51, ग्राम्य-229	20-21
28	श्री कुमार शैलेन्द्र	ग्राम्य-182	21
29	श्री कृष्ण कुमार ऋषि	ग्राम्य-376	21-22
30	श्री कृष्णनन्दन यादव	सामु-22	22
31	श्री ललन राम	ग्राम्य-249	22-23
32	श्री ललित कुमार यादव	पथ-78	23
33	श्री महेन्द्र बैठा	ग्राम्य-140, ग्राम्य-141	23
34	श्रीमती मुन्नी देवी	पथ-94	24
35	श्री मुजाहिद आलम	पथ-83	24
36	श्रीमती नीता चौधरी	ग्राम्य-63	25
37	श्री नरेन्द्र कुमार नीरज	पथ-102	25
38	श्री पवन कुमार जायसवाल	पथ-92	25-26
39	श्रीमती रजिया खातुन	ग्राम्य-290, ग्राम्य-289, सामु-27	26-27
40	श्री रतनेश सादा	ग्राम्य-279, पथ-88, ग्राम्य-280	27-28
41	श्री रामायण माँझी	सामु-30	28-29
42	श्री राजेश्वर राज	ग्राम्य-374, ग्राम्य-375	29
43	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह	ग्राम्य-385	29-30
44	श्री रमेश ऋषिदेव	ग्राम्य-333, ग्राम्य-334	30-31
45	श्री रामेश्वर प्रसाद	पथ-76	31
46	श्रीमती सुखदा पाण्डेय	ग्राम्य-243,ग्राम्य-242	32
47	श्री सबा जफर	ग्राम्य-256	32
48	श्री सुबाष सिंह	पथ-91	33
49	श्री सतीश कुमार	पथ-108	33-34
50	श्री संजय सिंह 'टाईगर'	पथ-47	34
51	श्री संजय सरावगी	पथ-90	34-35
52	श्री सुरेश कुमार शर्मा	पथ-97, पथ-103, पथ-98	35-36
53	श्री सत्यदेव नारायण आर्य	पथ-84	36
54	श्री श्याम बिहारी राम	पथ-79	37
55	श्री श्याम बिहारी राम	पथ-95	37
56	श्री श्याम बिहारी प्रसाद	सामु-31	38

क्रमांक	माननीय सदस्यों के नाम	सांकेतिक चिह्न	पृष्ठ
		षोडश सत्र	
57	श्री (मो०) तौसीफ आलम	पथ-61	38-39
58	श्री तारकिशोर प्रसाद	पथ-60	39
59	श्रीमती (डॉ०) उषा विद्यार्थी	पथ-17, पथ-16, ग्राम्य-68, ग्राम्य-67	39-41
60	श्री विजय कुमार सिन्हा	ग्राम्य-240	41
61	श्री विनय बिहारी	पथ-105	41-42
62	श्री विक्रम कुँवर	सामु-21	42
63	श्री विनोद कुमार सिंह	ग्राम्य-102	43
64	श्री विभाष चन्द्र चौधरी	ग्राम्य-347	43

पईन की मरम्मती

लघु-1.--श्री अनिल सिंह--क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे की क्या यह बात सही है कि बकसन्डा मुख्य पईन/आहर सिंचाई योजना एवं दादपुर पईन की मरम्मती नहीं होने से दस हजार एकड़ जमीन सिंचित होने से वंचित रह जाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त आहर पईन की मरम्मती करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । बकसन्डा मुख्य पईन/आहर सिंचाई योजना एवं दादपुर पईन की मरम्मती होने से करीब 600 हे० सिंचित हो सकेगी । वित्तीय वर्ष 2014-15 में उक्त कार्य बजट उपलब्धता के आधार पर की जायेगी ।

नलकूप चालू करना

लघु-3.--श्री कुमार शैलेन्द्र--क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे की क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखण्ड के जयपुर, चूहर पश्चिम में राजकीय नलकूप अवस्थित है जो, विगत चार माह से बंद पड़ा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त राजकीय नलकूप को कबतक चालू कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर अस्वीकारात्मक । यांत्रिक दोष के कारण यह नलकूप कुछ दिनों तक बंद था । वर्तमान में चालू करा लिया गया है, जिससे पटवन का कार्य भी किया जा रहा है ।

नलकूप को चालू करना

लघु-2.--श्री मंजीत कुमार सिंह--क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले के बरौली प्रखण्ड में स्थित सिकटिया (रामपुर), सलेमपुर पूर्वी (बधवार), खजूरिया (1), खजूरिया (2) हलुआड़, बैकुण्ठपुर प्रखण्ड के फैजुल्लाहपुर,गम्हारी, आजवीनगर, खजुहट्टी, हमीदपुर, खेराआजम, मटियारिया, सफियाबाद, मंगलपुर (1) मंगलपुर (2) एवं सिंधवलिया प्रखण्ड के बखरौर, विशुनपुरा, हिम्मतपुर, जलालपुर, जलालपुर कुर्मी टोला, महम्मदपुर, काशीटेंगराही, कटेया टोला में लाखों की लागत से बने नलकूप यांत्रिक दोष और पोल, तार, कन्डस्टर एवं ट्रांसफॉर्मर की कमी के कारण विगत 10 वर्षों से बंद है, जिससे 2,175 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार बंद पड़ें नलकूपों को कबतक चालू करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । गोपालगंज जिले के बरौली, बैकुण्ठपुर व सिधवलिया प्रखण्ड स्थित प्रशन में वर्णित नलकूपों की स्थिति निम्नवत् है:--

बरौली

1. सिकटिया रामपुर, सलेमपुर पूर्वी एवं बधवार:--

उक्त तीनों उद्वह सिंचाई योजना के अधीन है । सिकटिया भागार योजना में पंपगृह, पंप-सह-चालकगृह और सतही नाला क्षतिग्रस्त है । साथ ही जल स्त्रोत, इनटेक टैंक से दूर चला गया है । वर्तमान में से योजना अकार्यरत है ।

सलेमपुर में सलेमपुर भागर एवं सलेमपुर नामक दो योजनाएँ है । सलेमपुर भागर में चालक-सह-पंप हाउस, सर्जटैंक एवं भू-गर्भीय नाला क्षतिग्रस्त है । साथ ही इस योजना के लिये ट्रांसफॉर्मर की भी आवश्यकता है । सलेमपुर स्थित दूसरी योजना अपूर्ण एवं अऊर्जान्वित है ।

बधवारा सिंचाई योजना अपूर्ण एवं क्षतिग्रस्त है ।

2. खजुरिया 1 एवं खजुरिया 2--

ये दोनों नलकूप नाबार्ड फेज 8 के अन्तर्गत अधिष्ठापित है । इन दोनों नलूपों का ऊर्जान्वियन कार्य ऊर्जा विभाग के द्वारा किया जा रहा है । ऊर्जान्वियन के पश्चात् इन नलकूपों को चालू करा दिया जायेगा ।

3. हलुआड़--

ये एक पुराना नलकूप है जो चालू अवस्था में है और इससे सिंचाई कार्य किया जा रहा है ।

बैकुण्ठपुर

1. फैजुल्लाहपुर, गम्हारी, हमीदपुर, खैराआजम, मुटियारी एवं सफियाबाद--

उक्त नलकूप नाबार्ड फेज 11 के अन्तर्गत अधिष्ठापित है । वर्तमान में ऊर्जा विभाग द्वारा इन नलकूपों का ऊर्जान्वियन किया जा रहा है । ऊर्जान्वयन के पश्चात् इन नलकूपों को चालू करा दिया जायेगा ।

2. आजवीनगर--

यह नलकूप वर्तमान में विद्युत् दोष के कारण बंद है ।

3. दिघवा, खजुहट्टी

ये राजकीय नलकूप चालू अवस्था में है ।

4. मंगलपुर 1 एवं मंगलपुर 2--

उक्त दोनों राजकीय नलकूप नाबार्ड फेज 8 के अन्तर्गत अधिष्ठापित है । इन नलकूपों का ऊर्जान्वयन कार्य ऊर्जा विभाग के द्वारा कराया जा रहा है । ऊर्जान्वयन के पश्चात् इन नलकूपों को चालू करा दिया जायेगा ।

सिधवलिया

1. बखरौर, विशुनपुरा, हिम्मतपुर, जलालपुर, जलालपुर कुर्मी टोला--

उपरोक्त नलकूप नाबार्ड फेज 11 के अन्तर्गत अधिष्ठापित है । वर्तमान में ऊर्जा विभाग द्वारा इन नलकूपों को ऊर्जान्वयन किया जा रहा है । ऊर्जान्वयम के पश्चात् इन नलकूपों को चालू करा दिया जायेगा ।

2. महम्मदपुर, काशीटेंगराही--

उक्त दोनों नलकूप चालू अवस्था में है और इनसे सिंचाई कार्य किया जा रहा है ।

3. कटेयाटोला--

नाबार्ड फेज 3 के अन्तर्गत निर्मित ये नलकूप वर्तमान में अऊर्जान्वित हैं । नाबार्ड फेज 8 के सभी नलकूपों के उर्जान्वयन हेतु लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के द्वारा ऊर्जा विभाग को राशि उपलब्ध करा दी गई है । प्राप्त जानकारी के अनुसार ऊर्जा विभाग के द्वारा इन नलकूपों के ऊर्जान्वयन हेतु निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली जा चुकी है । इन नलकूपों के ऊर्जान्वयन के बाद ही इन नलकूपों से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी । बंद नलकूपों को चालू कराने की दिशा में बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एवं लघु जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त सत्यापन की कार्रवाई पूरी कर ली गई है । चरणबद्ध रूप से नलकूपों को चालू कराने की कार्रवाई की जा रही है । प्रथम चरण में मात्र ट्रांसफॉर्मर के कारण बंद नलकूपों को चालू कराने की कार्रवाई, द्वितीय चरण में 5 पोल, कंडक्टर एवं ट्रांसफॉमर तथा तृतीय चरण में 5 पोल से अधिक कंडक्टर एवं ट्रांसफॉर्मर आदि के कारण बंद नलकूपों को चालू कराने की कार्रवाई की जायेगी ।

ट्यूबवेल चालू करना

लघु-15--श्रीमती मंजू कुमारी--क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखण्ड के मधुरापुर, टॉरा मिलकी, रमौली, माधीपुर, भुआल आदि ग्रामों के स्टेट ट्यूबवेल वर्ष 2009 में स्थापित किया गया है, परन्तु आजतक इसे चालू नहीं किया गया है जिससे उक्त ग्रामों के किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्रामों के स्टेट ट्यूबवेल को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वर्णित मधुरापुर एवं टॉरा नलकूप वर्तमान में चालू है और इनसे सिंचाई कार्य किया जा रहा है । मिलकी नलकूप पूसा प्रखण्ड में अधिष्ठापित है जो वर्तमान में बंद है । रमौली नामक कोई नलकूप कल्याणपुर प्रखण्ड में स्थापित नहीं है । शिवाजीनगर प्रखण्ड में रमौल नामक पुराना राजकीय नलकूप स्थापित है जो बंद है । मलीपुर नामक राजकीय नलकूप हसनपुर प्रखण्ड में स्थित है और ये भी बंद है । बंद नलकूपों को चालू कराने की दिशा में बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एवं लघु जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त सत्यापन की कार्रवाई पूरी कर ली गयी है । चरणबद्ध रूप से नलकूपों को चालू कराने की कार्रवाई की जा रही है । प्रथम चरण में मात्र ट्रांसफॉर्मर के कारण बंद, द्वितीय चरण में 5 पोल, कंडक्टर एवं ट्रांसफॉर्मर तथा तृतीय चरण में 5 पोल से अधिक कंडक्टर आदि के कारण बंद नलकूपों को चालू कराया जायेगा ।

नलकूपों को चालू कराना

लघु-13.--**श्री निरंजन राम**--क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मोहनियाँ विधान-सभा में कुल नलकूपों की संख्या 170 है जिसमें 90 नलकूप ही कार्यरत हैं, शेष 80 नलकूप बंद हैं जिस कारण उक्त क्षेत्र की भूमि सिंचाई से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार बंद नलकूपों को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर स्वीकारात्मक है । नलकूप प्रमण्डल मोहनियाँ में कुल 176 पुराने राजकीय नलकूप अधिष्ठापित हैं, जिनमें से 6 अदद् अऊर्जान्वित एवं 170 अदद् नलकूप ऊर्जान्वित हैं । ऊर्जान्वित नलकूपों में से वर्तमान में 80 अद्द नलकूप अकार्यरत हैं जबकि 90 अद्द नलकूप चालू हैं और इनसे किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । बन्द नलकूपों को चालू कराने की दिशा में बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एवं लघु जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त सत्यापन की कार्रवाई कर ली गयी है । चरणबद्ध रूप से नलकूपों को चालू कराने की कार्रवाई की जा रही है । प्रथम चरण में मात्र ट्रांसफॉर्मर के कारण बंद, द्वितीय चरण में 5 पोल, कंक्टर एवं ट्रांसफॉर्मर तथा तृतीय चरण में 5 पोल से अधिक कंडक्टर, ट्रांसफॉर्मर आदि के कारण बंद नलकूपों को चालू कराया जायेगा ।

पानी पहुँचाना

लघु-5.--**श्री राम नरेश प्रसाद यादव**--क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा एवं परिहार प्रखण्ड अन्तर्गत नाबार्ड फेज 11 में अधीन 41 नलकूप लगाये गये हैं, जो अबतक चालू नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त नलकूपों को कबतक चालू कर किसानों के खेत में पानी पहुँचाने का विचार का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । सीमामढ़ी जिला के परिहार एवं सोनबरसा प्रखण्ड में नाबार्ड फेज 11 के अन्तर्गत कुल 41 नलकूप अधिष्ठापित हैं । परिहार प्रखण्ड में उक्त योजना के अन्तर्गत कुल 20 नलकूप हैं जिनमें से 2 अद्द नलकूप चालू हैं और इनसे सिंचाई कार्य किया जा रहा है । 3 अदद् नलकूप यांत्रिक दोष, 1 अदद् विद्युत् दोष एवं 7 अद्द नलकूप संयुक्त दोष के कारण बंद हैं। इस प्रखण्ड के 7 अद्द नलकूप वर्तमान में अऊर्जान्वित हैं । सोनबरसा प्रखण्ड में नाबार्ड फेज 11 के अन्तर्गत कुल 21 नलकूप अधिष्ठापित हैं । इनमें से 3 अद्द नलकूप चालू हैं और इनसे पटवन से 3 अद्द नलकूप चालू हैं और इनसे पटवन का कार्य किया जा रहा है । यांत्रिक दोष के कारण कुल 2 अदद, विद्युत् दोष के कारण कुल 3 अद्द एवं संयुक्त दोष के कारण कुल 3 अद्द एवं संयुक्त दोष के कारण कुल 13 अदद्

नलकूप बंद हैं । बंद नलकूपों को चालू कराने की दिशा में बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एवं लघु जल संसाधन विचभाग के पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त सत्यापन की कार्रवाई कर ली गयी है । चरणबद्ध रूप से नलकूपों को चालू कराने की कार्रवाई की जा रही है । प्रथम चरण में मात्र ट्रांसफॉर्मर के कारण बंद नलकूपों को चालू कराने की कार्रवाई, द्वितीय चरण में 5 पोल कंडक्टर एवं ट्रांसफॉर्मर तथा तृतीय चरण में 5 पोल से अधिक कंडक्टर एवं ट्रांसफॉर्मर आदि के कारण बंद नलकूपों को चालू कराने की कार्रवाई की जायेगी ।

कार्रवाई करना

लघु-9.--**श्री सुबोध राय**--क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विगत तीन वर्षों में राज्य में कुल 350 खराब पड़े नलकूपों को चालू कराने के लिये राशि का आवंटन किया गया;

(2) क्या यह बात सही है कि भागलपुर, बाँका जिला सहित राज्य के सभी जिलों में उक्त बन्द पड़े नलकूपों की मरम्मती हो जाने के नाम पर राशि का उठाव विगत एक वर्ष पूर्व ही कर लिया गया है लेकिन ये नलकूप आज भी खराब हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सुल्तानगंज प्रखण्ड सहित उक्त बंद पड़े नलकूपों को चालू कराने एवं मरम्मती के नाम पर राशि का उठाव करने वाले दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । राज्य में पुराने राजकीय नलकूप, नाबार्ड फेज 3, फेज 8, फेज 11 के अन्तर्गत कुल नलकूपों की सं० क्रमश: 5559,350,1591 एवं 2740 है । कुल राजकीय नलकूपों 10,240 के विरुद्ध चालू नलकूपों की सं० 3,606 है । शेष नलकूपों में असफल नलकूपों की सं० 1,075 है । बाकी नलकूप विद्युत् दोष, यांत्रिक दोष एवं संयुक्त दोष के कारण बंद हैं । नाबार्ड फेज 8 एवं 11 के अन्तर्गत बचे अऊर्जान्वित नलकूपों को ऊर्जान्वित करने की कार्रवाई की जा रही है । चालू नलकूपों के विरुद्ध अनुरक्षण एवं रख-रखाव मद में आवंटन उपलब्ध कराया गया एवं कुल नलकूपों के जीर्णोद्धार हेतु राशि आवंटित की गयी ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । मात्र चालू नलकूपों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु आवंटन निर्गत किया गया । वर्तमान में भागलपुर में 167 एवं बाँका में 7 नलकूप चालू हैं । राज्य के सभी जिलों में वर्तमान में कुल 3,606 नलकूप चालू हैं ।

(3) कंडिका (1) एवं (2) में स्थिति वर्णित की गयी है । सुल्तानगंज प्रखण्ड में बंद नलकूपों को चालू कराने की दिशा में उचित कार्रवाई शीघ्र करने हेतु कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया गया है । समय-समय पर प्राप्त परिवाद पत्रों के आलोक में विभिन्न प्रमण्डलों द्वारा कराये जा रहे कार्यों की जाँच विभागीय स्तर पर गठित समिति/उड़नदस्ता द्वारा कराये जाने का प्रावधान है । जाँच में दोषी पाये जाने पर कार्रवाई की जायेगी ।

चहका का निर्माण

लघु-14.--**श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा**--क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत गुरूआ प्रखण्ड के परसाभा कला गाँव के कहाऔडी आहर में चहका का निर्माण नहीं होने से आम किसानों को सिंचाई में कठिनाई का समना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त आहर में कबतक चहका का निर्माण करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । प्रश्नगत पईन का विस्तृत सर्वेक्षण कराकर तकनीकी दृष्टिकोण से सम्भाव्य होने पर वित्तीय वर्ष 2014-15 में डी०पी०आर० तैयार किया जायेगा ।

स्लूईस गेट बनाना

लघु-11.--**श्रीमती (डॉ0) उषा विद्यार्थी**--क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना के पालीगंज प्रखण्ड के मुड़िका पंचायत में पटवन के लिये एक बहुत बड़ा आहर है, जो सैर खजाना के नाम से जाना जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में उक्त आहर की उड़ाही की गयी, परन्तु उसमें एक भी स्लूईस गेट का निर्माण नहीं कराया गया जिससे पटवन बाधित हो रही है;

(3) यदि उपयुक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त आहर (सैर खजाना) पर स्लूईस गेट बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) स्लूईस गेट का योजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है, तकनीकी की प्रक्रिया में है । तकनीकी स्वीकृति में योजना के सम्भाव्य पाने पर बजट की उपलब्धता के आधार पर योजना का निर्माण कराया जायेगा।

नलकूप चालू करना

लघु-12--**श्रीमती (डॉ0) उषा विद्यार्थी**--क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज विधान-सभा क्षेत्र असिंचित है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित क्षेत्र में सभी सरकारी नलकूप पिछले चार वर्षों से बंद है जिससे सिंचाई कार्य बाधित हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बंद पड़े नलकूपों को चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । पालीगंज विधान-सभा क्षेत्र में दो प्रखण्ड क्रमशः पालीगंज एवं दुल्हिन बाजार पड़ते हैं जिनमें कुल 40 अदद् राजकीय नलकूप स्थापित हैं । जिनमें 8 अदद् नलकूप वर्तमान में चालू हैं ।

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

(3) बंद नलकूपों को चालू कराने की दिशा में बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एवं लघु जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त सत्यापन की कार्रवाई कर ली गयी है । चरणबद्ध रूप से नलकूपों को चालू कराने की कार्रवाई की जा रही है । प्रथम चरण में मात्र ट्रांसफॉर्मर के कारण बंद, द्वितीय चरण में 5 पोल, कंडक्टर एवं ट्रांसफॉर्मर तथा तृतीय चरण में 5 पोल से अधिक कंडक्टर, ट्रांसफॉर्मर आदि के कारण बंद नलकूपों को चालू कराया जायेगा । करीब 2015 तक सभी नलकूपों को चालू करान का लक्ष्य है ।

सड़क बनाना

ग्राम्य-293.--**श्री अमन कुमार**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत कहलगाँव प्रखण्ड के मथुरापुर से किसनदासपुर होते हुये बुद्धुचक तक सड़क की हालत जर्जर है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क को कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 10.6 कि०मी० है । उक्त पथ कहलगाँव प्रखण्ड के श्रेणी 1 में सम्मिलित पथों की सूची में क्रमांक-5 पर अंकित है । वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत मरम्मती योग्य पथों का चयन प्रक्रियाधीन है । तदोपरान्त निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त पथ की मरम्मती हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी ।

सड़क एवं पुलिया बनाना

ग्राम्य-370.--**श्री अमरनाथ गामी**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत सुरहा-हथौड़ी पथ की स्थिति जर्जर रहने एवं सुरहा-हथौरी पथ में बना पुलिया धंस जाने के कारण आवागमन बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क एवं पुलिया का पुनर्निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न पथ एवं इसपर अवस्थित पुल से संबंधित है । सुरहा-हथौड़ी की लम्बाई 8.8 कि०मी० है, जिसका निर्माण वित्तीय वर्ष 2006-07 में एस०सी०पी० योजना से कराया गया जिसमें अनुरक्षण का प्रावधान नहीं था । पथ अनुरक्षण हेतु वर्ष 2015-16 के लिये श्रेणी 1 के कार्य प्रमण्डल, दरभंगा 1 की सूची के क्रमांक-5 पर अंकित है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रमानुसार पथों का मरम्मती कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा । इसी पथ के मध्य भाग में बहुत पुराना 40 मीटर लम्बा स्क्रू पाईल ब्रीज का एक भाग धंस गया है । भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है । इस स्थल पर 40 मीटर लम्बे उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण की आवश्यकता है । नाबार्ड योजना अन्तर्गत पुल निर्माण हेतु बनायी जा रही सूची के प्राथमिकता क्रमानुसार इन पुलों का निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा।

नाला का निर्माण

ग्राम्य-146.--**श्री अरूण शंकर प्रसाद**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर प्रखण्ड के डोरवार पंचायत के गोबराही गाँव के प्रधानमंत्री सड़क के दोनों किनारे तथा जीवछ ठाकुर के घर से देव सुन्दर यादव के घर तक वर्षात के दिनों में जल-जमाव हो जाता है, जिस कारण लोगों का नारकीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव में बड़ी आबादी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलितों की है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त दोनों सड़क के किनारे नाला का निर्माण कराकर लोगों को जल-जमाव से मुक्ति दिलाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का निर्माण केंद्रीय एजेंसी सी०पी०डब्लू०डी० द्वारा पी०एम०जी०एस०वाई० अन्तर्गत कराया गया है । पथ के पथांश गोबराही गाँव एवं जीवछ ठाकुर के घर से देव सुन्दर यादव के घर तक लगभग 600 मीटर में वर्षात के दिनों में जल-जमाव हो जाता है । पथ के प्राक्कलन में सड़क के किनारे नाला बनाने का प्रावधान नहीं था । ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अलग से नाला

का निर्माण नहीं कराया जाता है ।

पथ का पक्कीकरण

ग्राम्य-130.--श्री अमरेन्द कुमार पाण्डेय--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के कुचायकोट प्रखण्डान्तर्गत बंगालखांड पंचायत के ग्राम-कवलाचक में श्री बृज चौबे के घर के पास से नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, मुसहर टोला होकर मुख्य पथ तक जाने वाली सड़क का पक्कीकरण नहीं होने से आमजन को आवागमन में काफी असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पथ का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 1.2 कि०मी० है । यह पथ स्टेट कोर नेटवर्क सी०यू०पी०एल० के क्रमांक-60 ''एन०एच० 28 से चकहसना'' नाम से अंकित है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के क्रमानुसार पथों का मरम्मती कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा ।

सम्पर्क पथ का निर्माण

ग्राम्य-129.--श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के कुचायकोट प्रखण्डान्तर्गत सासामुसा पंचायत के ग्राम-ननीपारा में श्री चन्दवा यादव के बथान से आर०ई०ओ० सड़क तक जोड़ने वाली सम्पर्क पथ का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को काफी असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सर्म्पक पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 500 मीटर है । ग्राम-मनीयारा को आर०ई०ओ० सड़क से सर्म्पकता प्राप्त है । यह पथ गाँव की गली का पथ है । गाँव की आंतरिक एवं मुहल्ले की पथ का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है ।

हेल्थ कार्ड बनाना

क-8.--डॉ0अच्युतानन्द--क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में बी०पी०एल० परिवारों, बीड़ी कामगारों, निर्माण मजदूरों, रेलवे कुलियों, घरेलू नौकरों सहित मनरेगा मजदूरों को सलाना 30 हजार तक की मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु हेल्थ कार्ड बनाने की योजना का आरम्भ 1 फरवरी, 2015 को किया गया;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के निर्णय के आलोक में मार्च, 2015 से राज्य के सभी जिलों में स्वास्थ्य कार्ड बनाने की योजना पूरी करनी है, जबकि 31 जिलों में इस कार्य को शुरू भी नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के 31 जिलों में हेल्थ कार्ड बनाने का कार्य कबतक पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । राज्य में बी०पी०एल० परिवारों एवं बीड़ी जमदूरों का स्मार्ट कार्ड बनाने की कार्रवाई चल रही है । निर्माण मजदूरों, रेलवे कुलियों, घरेलू नौकरों सहित मनरेगा मजदूरों का डाटा उनके संबंधित विभाग से समिति को प्राप्त नहीं होने के कारण इस वर्ष उनको इस योजना में शामिल नहीं किया जा सका है ।

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । राज्य के 26 जिलों में माह मार्च, 2015 में स्मार्ट कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ है । शेष जिलों में भी स्मार्ट कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है ।

(3) यथा उपरोक्त कंडिका (1) एवं (2) 26 जिलों में स्मार्ट कार्ड बनाने की कार्रवाई चल रही है

एवं अवशेष जिलों में भी इस माह के अंत तक स्मार्ट कार्ड बनाने की कार्रवाई प्रारम्भ हो जायेगी ।

भवन का निर्माण

अ०सू०-7.--**डॉ० अच्युतानन्द**--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में बन रही मनरेगा योजना के संचालन के लिये राज्य के प्रत्येक पंचायत में कार्यालय के रूप में एक-एक मनरेगा भवन के निर्माण कराने की स्वीकृति वर्ष 2009-10 में ही की गई थी;

(2) क्या यह बात सही है कि संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों की उदासीनता के कारण पिछले 5 वर्षों में उपरोक्त योजना में मात्र 140 पंचायतों में ही भवन का निर्माण हो सका है, जिससे योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अंकेक्षण में कठिनाइयाँ आ रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य के सभी पंचायतों में पाँच वर्षों में मनरेगा भवन के निर्माण नहीं कराने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2009-10 में ग्रामीण कार्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2009 को भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर बनने वाले भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र की कुल 5,403 योजनाएँ स्वीकृत की गई है जिसमें से 3,214 योजना पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है, उनमें से 188 योजनाएँ पूर्ण किये जा चुके हैं । प्रखण्ड स्तर पर भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र की 319 योजनाएँ स्वीकृत की गयी है जिसमें से 287 योजनाओं में कार्य प्रगति पर है तथा 35 योजनाएँ पूर्ण कर ली गयी है । मनरेगा अन्तर्गत भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र के मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के आलोक में इसके निर्माण का कार्य पूर्ण रूप से जॉब कार्डधारियों के माध्यम से बिना मशीन के उपयोग कराया जाना है । साथ ही इस योजना का कार्यान्वयन ठेकदारों के माध्यम से नहीं कराया जा सकता है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित श्रम बजट के अनुरूप राज्य को राशि का आवंटन नहीं किया गया ।

(3) उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

पुल का निर्माण

पथ-20.--**डॉ० अच्युतानन्द**--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला अन्तर्गत महनार बाजार से हसनपुर के बीच में हाजीपुर-बछवाड़ा पथ में पुल का निर्माण नहीं कराने के कारण महनार प्रखण्ड के चकेसो एवं देशराजपुर ग्रामों में साल के 9 महीने पानी का जमाव होता है जिससे क्षेत्र की जनता को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार हाजीपुर-बछवाड़ा पथ में महनार के चकेसो, देशराजपुर ग्राम के सामने पुल का निर्माण कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । वैशाली जिला अन्तर्गत महनार बाजार से हसनपुर के बीच में हाजीपुर-बछवाड़ा पथ में चकेसो, देशराजपुर ग्राम के सामने लावापुर में पूर्व से पुलिया निर्मित है जिसका Vent ग्रामीणों द्वारा बाढ़ का पानी नहीं प्रवेश करने हेतु जबरदस्ती बन्द कर दिया गया है । महनार और हसनपुर के बीच कुछ अन्य पुलिया का भी Vent ग्रामीणों द्वारा जबरन बन्द कर दिया गया है । यदि पुलिया का Vent खोल दिया जाता है तो महनार, हसनपुर के बीच नये पुल निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाजीपुर-बछवाड़ा मुख्य पथ से चकेसों होते हुये हसनपुर तक अन्य ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व वाली PCC पथ जाती है, जिसमें एक भी पुलिया निर्मित नहीं होने के कारण जल-जमाव की समस्या है । ग्रामीण

कार्य विभाग को पुलिया निर्माण हेतु अनुरोध किया जा रहा है ।

कार्य प्रारम्भ करना

ग्राम्य-381.--**डॉ0 अरूण कुमार**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत मुख्यमंत्री सेतु योजनाओं का चयन वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में किया गया था, चयन के फलस्वरूप सभी योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार करवाया गया था, बड़े पुलों का निविदा भी किया गया था, परन्तु प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण योजनाओं का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया एवं छोटे पुलों को प्रशासनिक स्वीकृति के बाद निविदा निकाला गया, लेकिन आजतक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पुलों का पुर्न निविदा निकालकर कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत 25 लाख से अधिक की लागत वाली योजनाओं में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा जिला संचालन समिति से प्राप्त सूची के आधार पर योजनाओं का त्वरित निष्पादन हेतु कुल 8 योजनाओं का चयन कर प्रशासनिक स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा निकाला गया था । सूची में चयनित योजनाओं की लागत योजना विशेष के अनुरूप कम या अधिक है । जिला के लिये कर्णांकित राशि के अन्तर्गत तीन योजनाओं सहरसा, सोनवर्षा एवं महिषी विधान-सभा क्षेत्र के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई । उक्त तीन प्रशासनिक स्वीकृत योजनाओं में से सहरसा विधान-सभा के योजना का कार्य आरम्भ हो गया है । सोनवर्षा विधान-सभा का कार्य एक-दो सप्ताह में प्रारम्भ हो जायेगा तथा महिषी विधान-सभा के योजनाओं के निविदा का निष्पादन प्रक्रियाधीन है, जिससे दस दिनों के अन्दर निष्पादित कर कार्य आरम्भ करा दिया जायेगा । छोटे पुलों (25 लाख रुपये से कम की लागत वाली) का कार्यान्वयन जिला पदाधिकारी, सहरसा के माध्यम से कराया जाता है । जिला पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक 3550 (एस) डब्लू०ई०, दिनांक 21 अप्रील, 2015 से Email द्वारा उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है ।

सड़क की मरम्मती

ग्राम्य-344.--**डॉ0 अरूण कुमार**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर प्रखण्ड के ठीकूचक से छपरा जानेवाली ग्रामीण सड़क जर्जर हो जाने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क की मरम्मती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ एम०एन०पी० योजनान्तर्गत निर्मित है तथा आवागमन सुचारू रूप से चालू है । उक्त पथ की लम्बाई 3.19 कि०मी० है । उक्त पथ बिहार राज्य ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति के तहत श्रेणी II की अर्हता रखता है । वित्तीय वर्ष 2015-16 अन्तर्गत मरम्मती योग्य पथों का चयन प्रक्रियाधीन है । तदोपरान्त निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त पथ की मरम्मती हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी ।

कार्रवाई करना

अ0सू0-8.--**श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी**--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011-12 में इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य 7,37,486, एलोकेशन 3335.95 करोड़, इकाई दर रु० 45 हजार, वित्तीय 2012-13 भौतिक लक्ष्य 8,35,925, एलोकेशन 3,696.21 करोड़, इकाई दर रु० 45 हजार, वर्ष 2013-14 भौतिक लक्ष्य 6,05,550, एलोकेशन 4324.00 करोड़, इकाई दर रु० 70 हजार वर्ष 2014-15 भौतिक लक्ष्य 274981, एलोकेशन 1961.79 कारेड़, इकाई दर रु० 70 हजार निर्धारित किया गया है, यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2011-12 से

2013-14 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में भौतिक लक्ष्य एवं एलोकेशन कम निर्धारित करने का क्या औचित्य है तथा सरकार इसके लिये कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में एलोकेशन 3335.95 (तैंतीस अरब पैंतीस करोड़ पनचानवें लाख) रुपये, वित्तीय वर्ष 2012-13 में एलोकेशन 3696.21 (छत्तीस अरब छियानवें करोड़ एक्कीस लाख) रुपये, 2013-14 में एलोकेशन 4496.96 (चौवालीस अरब छियानवे करोड़ छियानवे लाख) रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में एलोकेशन 2040.25 (बीस अरब चालीस करोड़ पचीस लाख) रुपये था । इंदिरा आवास योजना एक केन्द्र प्रयोजित योजना है । योजना के लक्ष्य का निर्धारण प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा किया जाता है । प्रति इकाई सहायता राशि का निर्धारण समय-समय पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्माण आदि की लागत को देखते हुये किया जाता है । योजना पर होनेवाले व्यय का वहन केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 में किया जाता है । वित्तीय 2011-12 से वर्ष 2014-15 तक भौतिक लक्ष्य के निर्धारण में सिर्फ 2012-13 को छोड़कर लगातार कमी की जाती रही है । तदनुसार एलोकेशन में भी कमी की जा रही है । इस कमी का कारण इंदिरा आवास के लक्ष्य निर्धारण में भारत सरकार द्वारा क्षतिग्रस्त आवासों को मानक नही मानकर मात्र आवास की कमी को मानक माना जाना है ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में वर्ष 2013-14 की अपेक्षा भौतिक लक्ष्य में 54 प्रतिशत की कमी कर दी गयी। इसमें वृद्धि करने हेतु तत्कालीन विभागीय सचिव द्वारा विभागीय पत्रांक 183562, दिनांक 24 अप्रील, 2014 से सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र लिखा गया तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा भी अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या 184961, दिनांक 7 मई, 2014 से सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया गया। तत्कालीन माननीय विभागीय मंत्री एवं तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया, किन्तु लक्ष्य में कोई वृद्धि नहीं की गयी ।

इन्दिरा आवास का निर्माण

सामु-34.--**श्री अरूण मांझी**--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी, धनरूआ, दानापुर, पुनपुन प्रखण्डों में सन् 1990 से पहले महादलित टोलों में इन्दिरा आवास का निर्माण हुआ था, वह काफी जर्जर स्थिति में है;

(2) क्या यह बात सही है कि पुराने इन्दिरा आवास में रहने वाले लोगों को छत एवं दिवारों के गिरने से जान-माल का खतरा बना रहता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महादलित टोलों में जर्जर इन्दिरा आवास के बदले नये इन्दिरा आवास के निर्माण के लिये राशि उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) अस्वीकारात्मक है । इन्दिरा आवास योजना एक केन्द्र प्रयोजित योजना है । इस केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत एक लाभुक को एक ही बार आवास आवंटित करने का प्रावधान है । अतः दुबारा इसका लाभ नहीं दिया जा सकता है । राज्य सरकार अपने संसाधनों से 'मुख्यमंत्री इन्दिरा आवास जीर्णोद्धार योजना' का संचालन कर रही है जिसके अन्तर्गत वर्ष 1996 से मार्च, 2004 तक के अनुसूचित जाति/अनुसुचित जनजाति वर्ग के अधूरे/अपूर्ण (लिंटल स्तर तक निर्मित) आवासों को पूर्ण करने का उद्देश्य है ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 11032/01/2005-RH, दिनांक 19 अप्रील, 2006 में भी यह अंकित है कि आवासों का रख-रखाव इन्दिरा आवास के लाभुकों द्वारा ही किया जाना है ।

पुल का निर्माण

पथ-32.--**डॉ0 अब्दुल गफूर**--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या

यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत नवहट्टा प्रखण्ड के कासिमपुर से सुपौल जिला के कटैया पथ में मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत पुल निर्माण की स्वीकृति मिली थी तथा फरवरी, 2014 में निविदा भी आमंत्रित किया गया, परन्तु प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण निविदा को रद्द कर दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार प्रशासनिक स्वीकृति देते हुये उक्त स्थान पर पुल निर्माण कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन योजना मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत् जिला संचालन समिति से चयनित है । सहरसा जिला के लिये BOS की राशि रु० 1047.89 लाख (दस करोड़ सैंतालिस लाख नवासी हजार) रुपया था, जिसके विरुद्ध सहरसा, सोनवर्षा एवं महिषी विधान-सभा के प्रथम प्राथमिकता वाली एक-एक योजना की प्रशासनिक स्वीकृति जिसकी कुल राशि रु० 819.47 लाख (आठ करोड़ उन्नीस लाख सैंतालिस हजार) रुपया है, की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई । अवशेष BOS की राशि रु० 228.42 लाख (दो करोड़ अठाईस लाख बियालिस हजार रुपये) बचता है । प्राथमिकता के क्रम में सिमरी बख्तियारपुर विधान-सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत घोषम अन्तर्गत घोषम पश्चिम जाने वाली पथ में पुल के निर्माण की योजना स्वीकृति हेतु विचाराधीन था, परन्तु राशि अपर्याप्त रहने के कारण इसकी स्वीकृति नहीं हो सकी । प्रश्नाधीन पुल महिषी विधान-सभा क्षेत्र के प्राथमिकता क्रमांक के द्वितीय स्थान का पुल है एवं अपर्याप्त राशि के कारण किसी भी विधान-सभा क्षेत्र के द्वितीय प्राथमिकता वाली पुल की स्वीकृति नहीं दी जा सकी ।

पथ की मरम्मती

पथ-42.--**श्री आनन्दी प्रसाद यादव**--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत अररिया से बेरगाछी एवं कुसीकाँटा होते हुये कुबाड़ी तक जाने वाली सड़क पिछले दो वर्षों से अत्यन्त जर्जर अवस्था में है, जिससे आवागमन में लोगों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार सरकार उक्त पथ की मरम्मती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अररिया जिला अन्तर्गत अररिया से बैरगाछी, कुर्साकाँटा-कुआरी पथ का बैरगाछी से कुर्साकाँटा-कुआरी पथांश की कुल लम्बाई 34.5 कि०मी० है । अररिया से बैरगाछी पथांश NH-327E का भाग है, जिसकी लम्बाई 5.0 कि०मी० है एवं इस पथांश की स्थिति अच्छी है । बैरगाछी-कुर्साकाँटा-कुआरी पथ का कुर्साकाँटा से कुआरी पथांश 6.5 कि०मी० CMBD (Construction Cumitl Maintenance Bidding Document) के अधीन निर्माणाधीन है इस पथ का बैरगाछी से कुर्साकाँटा पथांश की लम्बाई 28.00 कि०मी० है ।

यह पथ प्रमण्डल, अररिया के अधीन OPRMC अन्तर्गत पैकेज सं० 29 में संधारण हेतु सम्मिलित है। इस पथ का Existing Crust Thickne कम रहने एवं भारत-नेपाल सीमा पथ में निर्माणाधीन उच्चस्तरीय पुलों के सामग्रियों के ढुलाई एवं पथ में भारी वाहनों की संख्या में काफी वृद्धि के कारण पथ परत क्षतिग्रस्त हुआ है ।

वर्तमान में पथ पर वाहनों की संख्या के आधार पर पथ परत के निरूपण के अनुसार पथ क्रस्ट का Existing Thickness नहीं रहने के कारण इस पथ को OPRMC से Delte कर पथ के मजबूतीकरण का कार्य योजना मद से कराने का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है ।

निर्माण कार्य पूरा करना

पथ-107.--**श्री अरूण कुमार सिन्हा**--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहटा-सरमेरा पथ एस०एच० 78 का निर्माण कार्य वर्ष 2010 में प्रारम्भ हुआ था और वर्ष 2014 में समाप्त होना था जो पिछले एक वर्ष से नहीं हो रहा है, जिससे इसकी परियोजना लागत बढ़ गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसके निर्माण कार्य पूरा कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर स्वीकारात्मक है । एशियन डेवलपमेंट बैंक सम्पोषित राज्य उच्च पथ सं० 78

बिहटा-सरमेरा पथ के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु एकरारनामा दिनांक 14 मई, 2010 को मेसर्स रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, हैदराबाद से किया गया, जिसे पूर्ण करने की तिथि 13 मई, 2013 थी । जिसकी कुल राशि रु० 391.76 करोड़ (तीन अरब एकानवे करोड़ छिहत्तर लाख) रुपये की थी भू-अर्जन एवं रेखांकन तथा मिट्टी की अनुपलब्धता का कारण बताते हुये संवेदक द्वारा दिनांक 14 अप्रील, 2014 को उक्त एकरारनामा को रद्द कर दिया गया । बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना द्वारा भी उपलब्ध भूमि में कार्य की धीमी प्रगति, संवेदक द्वारा कार्य करने में अरूचि के मद्देनजर दिनांक 25 अप्रील, 2014 को सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत भी एकरारनामा रद्द किया गया है जिसपर संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका द्वारा दोनों पक्षों की सहमति से Arbitration की सुनवाई जारी है ।

उक्त पथांश के शेष कार्यों की पुनर्निविदा पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर रु० 635.16 करोड़ (छ: अरब पैंतिस करोड़ सोलह लाख) रुपये का किया गया है । जिसे सहमति हेतु एशियन डेवलपमेंट बैंक को भेजा गया है । सहमति प्राप्त होने के पश्चात् एकरारनामा कर निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा । किये जाने वाले एकरारनामा की तिथि से दो वर्षों में कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य रख गया है ।

सड़क की मरम्मती

ग्राम्य-307.--श्री बृजकिशोर बिन्द--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत भगवानपुर प्रखण्ड के भगवानपुर-नौगढ़ पथ विगत 5 वर्षों से जर्जर अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क की मरम्मती कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक । भगवानपुर--नौगढ़ भाया जैतपुर पथ विभागीय पत्रांक 4574 (ई०), दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 के द्वारा अधिग्रहित किया गया है । परन्तु चूँकि इस पथ पर NPCC कार्य कर रही थी, इसलिये सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अवर प्रमण्डल, भभुआ-2 द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2011 को प्रभार लिया गया । इस पथ की कुल लम्बाई 12.30 कि०मी० है तथा चौड़ाई 3.75 मीटर है । पथ में जहाँ-तहाँ छोटे बड़े गड्ढे हैं, फिर भी आवागमन योग्य है । वित्तीय वर्ष 2015-16 के कार्य योजना में सम्मलित किये जाने पर विचार किया जायेगा, हालांकि पथ की उपलब्ध चौड़ाई बहुत कम है ।

पुल निर्माण

ग्राम्य-235.--श्री चितरंजन कुमार--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिलान्तर्गत कलेर प्रखण्ड के बेलांव देवी स्थान करहा पर पुल नहीं रहने के कारण आवागमन में परेशानी होती है;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार बेलांव देवी स्थान पर पुल निर्माण कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल अरवल जिलान्तर्गत कलेर प्रखण्ड के बेलांव देवी स्थान के निकट कच्चा आहर (करहा) जो जल संसाधन विभाग की है, पर अवस्थित है, जिसके दोनों ओर कच्ची पगडण्डी है उक्त स्थल के डाउन स्ट्रीम में 1.50 कि०मी० की दूरी पर पुल अवस्थित है । वर्तमान में उक्त पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन नहीं है ।

एप्रोच रोड बनाना

पथ-104.--**श्री दिनेश प्रसाद**--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के मीठापुर रेल ओवर ब्रीज के दक्षिणी भाग (पटना-पुनपुन रोड की ओर) में 90 प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका है;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना-पुनपुन रोड में भू-अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद अभी-तक एप्रोच रोड निर्माण के लिये जगह पुल निर्माण एजेंसी को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण एप्रोच रोड का काम शुरू नहीं हो पाया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना-पुनपुन पथ में एप्रोच रोड के लिये जगह खाली करवाकर उसे पुल निर्माण एजेंसी को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । लगभग 40 प्रतिशत कार्य हुआ है ।

(2) अस्वीकारात्मक । भू-अर्जन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है ।

(3) पुनपुन लेन के निर्माण हेतु भू-अर्जन के विरुद्ध CWJC No.-6398/2014 श्री रवि शंकर सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर हुआ है । माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 24 अप्रील, 2014 को पारित अंतरिम आदेश में भू-अर्जन की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है एवं स्थल पर यथास्थिति बहाल रखने का आदेश पारित हुआ है । पथ निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 22 सितम्बर, 2014 को प्रतिशपथ पत्र दायर कर दिया गया है । अंतिम आदेश पारित होने के उपरान्त भू-अर्जन की कार्रवाई पूरी कर निर्माण कार्य हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

पथ का जीर्णोद्धार

पथ-63.--**श्री दिनेश कुमार सिंह**--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर-पीरो पथ, आरा-मोहनियाँ पथ एवं आरा से पटना पथ विगत 8 वर्षों से जर्जर है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पथों का जीर्णोद्धार कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों है;

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । बिहिया-जगदीशपुर-पीरो पथ राज्य उच्च पथ सं० 102 (बिहिया, जगदीशपुर, पीरों, सिकरहट्टा, बिहटा) पथ का अंश है, जिसमें--

बिहिया	:	0 कि०मी० में
जगदीशपुर	:	12 कि०मी० में
पीरो	:	32 कि०मी० में अवस्थित है ।

कि०मी० 0 से कि०मी० 13 तक पथ की स्थिति अच्छी है । कि०मी० 14 से 20 तक का पथांश DLP के अन्तर्गत है, जिसका रख-रखाव संवेदक द्वारा किया जा रहा है ।

कि०मी० 21 से 31.15 तक पथ की स्थिति खराब है । इस पथांश के उन्नयन के लिये पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 10398 (एस) डब्लू०ई०, दिनांक 28 अक्तूबर, 2014 द्वारा 1866.81 लाख (अठारह करोड़ छियासठ लाख एकासी हजार) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई तथा यह कार्य संवेदक को दिनांक 27 मार्च, 2015 को आवंटित किया गया है । एकरारनामा प्रक्रियाधीन है ।

आरा-मोहनियाँ पथ राष्ट्रीय उच्च पथ सं० 30 का अंश है । आरा से मोहनियाँ तक पथ की लम्बाई 117 कि०मी० है, जिसका 4 लेनिंग कार्य PPP Mode पर बिहार राज्य पथ विकास निगम द्वारा कराया जा रहा है।

पथ का रख-रखाव पथ विकास निगम द्वारा ही कराया जा रहा है । पथ विकास निगम द्वारा सूचित किया गया है कि कुल 117 कि०मी० लम्बाई में 46.00 कि०मी० को छोड़कर अवशेष पथ की स्थिति सामान्य है।

इस पथ की मरम्मती कार्य रियायतग्राही (संवेदक) द्वारा ही किया जाना था, परन्तु रियायतग्राही द्वारा एकरारनामा विखंडित करने का निर्णय लिया गया, परन्तु पथ विकास निगम द्वारा कन्सेसनायर के विखंडन को उचित/वैद्य नहीं मानते हुये कार्य पुनः प्रारम्भ करने का निर्देश दिया गया ।

आरा से पटना तक का पथांश भी एन०एच० 30 का अंश है, जिसका 4 लेनिंग कार्य NHAI द्वारा किया जाना है । NHAI द्वारा एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया है तथा पुनः निविदा की कार्रवाई अभीतक नहीं की गई है ।

NHAI द्वारा पूर्व में दिनांक 20 जनवरी, 2015 तक कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया था, परन्तु अभीतक मरम्मती कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है । NHAI द्वारा सूचित किया गया है कि जुलाई, 2015 तक मरम्मती का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा । पुन: NHAI को शीघ्रतिशीघ्र मरम्मती का कार्य पूर्ण कराने का निदेश दिया गया है ।

पुल का निर्माण

पथ-68.--**श्रीमती दिलमरणी देवी**--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत ब्रह्मपुर निर्वाचन क्षेत्र के ब्रह्मपुर प्रखण्ड में बिहार घाट से हरदी घाट तक पीपा पुल निर्माण हेतु वर्षों पूर्व लगभग 16 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पीपा पुल के लिये निविदा भी आमंत्रित किया जा चुका है, परन्तु दिनांक 28 फरवरी, 2015 तक निर्माण कार्य प्रारम्भ तक नहीं हो सकी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बक्सर जिलान्तर्गत ब्रह्मपुर निर्वाचन के उक्त पीपा पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) प्राप्त निविदा में M/S Sincon Infrastructure Pvt. Ltd. के निविदा को गलत अनुभव प्रमाण-पत्र देने एवं शपथ पत्र पर वांछित कागजात समर्पित नहीं करने के कारण उनको तकनीकी मूल्यांकन में असफल घोषित किया गया जिसके विरुद्ध इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका सं० 10576/2013 दायर किया गया था । उक्त याचिका में निर्णय Petitioner के पक्ष में जाने के कारण निगम द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष 16 मई, 2014 को पारित आदेश के विरुद्ध L.P.A. No.-962/2014 दायर किया गया जो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के समक्ष सुनवाई हेतु विचाराधीन है ।

जमीन का मुआवजा

पथ-85.--**श्रीमती देवंती यादव**--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखण्ड के सोनापुर पंचायत से बेला पंचायत होते हुये सुपौल सीमा तक सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2012 से प्रारम्भ है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क के निर्माण हेतु सोनापुर पंचायत से बेला पंचायत होते हुये सुपौल सीमा तक जमीन का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन किसानों को जमीन का मुआवजा अभीतक नहीं मिला है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त किसानों को अबतक जमीन का मुआवजा नहीं देने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है । भारत-नेपाल सीमा के समान्तर स्वीकृत अररिया जिला में सुपौल जिला के सीमा पर रिफ्यूजी कॉलनी से मीरगंज पथांश (44.328 कि०मी०) में यह भाग है ।

(2) इस पथांश में पथ निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है । भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण किसानों को मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ है । प्रक्रिया पूरी होते ही किसानों को मुआवजा का भुगतान हो जायेगा । अररिया जिला में भूमि अधिग्रहण की राशि भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, अररिया को कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, अररिया द्वारा 173.03 करोड़ (एक अरब तेहत्तर करोड़ तीन लाख) रुपये मात्र उपलब्ध करा दिया गया है ।

(3) भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है । जिला प्रशासन द्वारा प्रक्रिय पूरी होते ही जिला प्रशासन द्वारा मुआवजे की राशि का भुगतान किया जायेगा ।

इंदिरा आवास का लाभ देना

सामु-5.--**डॉ0 दाउद अली**--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत पकरीवरावाँ प्रखण्ड ग्राम-ढोढ़ा सहित अन्य ग्रामवासियों के गरीब दलित एवं महादलित को वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में प्रकाशित इंदिरा आवास सूची में लाभार्थियों को इंदिरा आवास आवंटित कर देय राशि की निकासी कर ली गई है, यदि हाँ, तो सरकार नवादा जिलान्तर्गत पकरीवरावाँ प्रखण्ड ग्राम-ढोढ़ा सहित अन्य ग्रामवासियों के गरीब दलित एवं महादलित को वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में प्रकाशित इंदिरा आवास सूची की जाँच कराते हुये सभी लाभार्थियों को इंदिरा आवास का लाभ दिलाने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--इंदिरा आवास योजनान्तर्गत सहायता राशि का भुगतान एडभाईस के द्वारा बैंकों में माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में डालकर किया जाता है, फलस्वरूप अन्य व्यक्तियों के द्वारा निकासी की सम्भावना नहीं है । फिर भी यदि लाभुक के द्वारा कोई शिकायत की जाती है तो उसकी जाँच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है । वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में पकरीवरावाँ प्रखण्ड के ग्राम- ढोढ़ा एवं अन्य ग्रामों में भी इसी प्रणाली से सहायता राशि का भुगतान किया गया है । अवैध निकासी का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है । अतः जाँच का प्रश्न नहीं उठता है । यदि माननीय सदस्य के द्वारा कोई विशिष्ट मामला प्रस्तुत किया जाता है तो विभाग द्वारा उसकी जाँच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

सड़क एवं पुल बनाना

ग्राम्य-245.--**डॉ0 फैयाज अहमद**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत विस्फी प्रखण्ड मुख्यालय से घाट भटरा, रामनगर तक की दूरी मात्र 1.5 कि०मी० है;

(2) क्या यह बात सही है कि 1987 के बाढ़ की विभीषका में उक्त सड़क ध्वस्त हो गई थी जो आजतक नहीं बन पाई है;

(3) क्या यह बात सही है कि मात्र 1.5 कि०मी० में तीन जगह शालीग्राम जी के घर के पास, भरण टोला मोड़ के पास एवं राम नगर के पास बाढ़ में बड़ा-बड़ा कटान हो गया था, जिसपर अभीतक पुल निर्माण नहीं हो सका है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क एवं पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) स्वीकारात्मक है ।

(4) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न पथ एवं इसपर अवस्थित तीन पुलों से संबंधित है--

(1) **शालीग्राम जी के घर के पास**--विस्फी मुख्यालय से सिंघिया जाने वाली पी०एम०जी०एस०वाई० पथ में विस्फी-दुधिया टोला में स्थित शालीग्राम जी के घर के पास सड़क का बड़ा कटाव हो गया है । इस स्थान पर 30 मीटर स्पैन उच्चस्तरीय पुल की आवश्यकता होगी । पुल पी०एम०जी०एस०वाई० मिसिंग ब्रिज की सूची में सम्मलित है एवं डी०पी०आर० बनाने की कार्रवाई की जा रही है ।

(2) **भरन टोला मोड़ के पास**--मोईन विस्फी से घाट भटरा पथ में भरण टोला मोड़ के पास 60 मीटर लम्बे उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल की आवश्यकता है । नाबार्ड योजना अन्तर्गत पुल निर्माण हेतु बनायी जा रही सूची के प्राथमिकता क्रमानुसार इन पुलों का निर्माण कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

(3) **रामनगर के पास**--यहाँपर 6 मीटर लम्बे आर०सी०सी० कल्भर्ट की आवश्यकता है । यह विस्फी से घाट भटरा पथ पर अवस्थित है ।

प्रश्नाधीन पथ सी०यू०पी०एल० के क्रमांक-1 पर है । प्राथमिकता क्रमानुसार पथ एवं आर०सी०सी० कल्भर्ट का निर्माण कार्य कराया जा सकेगा ।

पुल का निर्माण

ग्राम्य-145.--श्रीमती गुड्डी देवी--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर प्रखण्ड के रून्नीसैदपुर पथ में नाला में पुल नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ में पुल का निर्माण नहीं होने से आवागमन में कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल रून्नीसैदपुर मस्जिद से सोनपुरवा जानेवाली ईंटीकृत पथ पर एक नाला है जिसपर 20 मीटर लम्बे पुल निर्माण की आवश्यकता होगी । प्रश्नाधीन स्थल से लगभग 1.5 कि०मी० डाउन स्ट्रीम में पुल पूर्व से निर्मित है । अभी वर्णित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

नाला का निर्माण

पथ-99.--श्री गोपालजी ठाकुर--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत दरभंगा, कुशेश्वर स्थान तक एस०एच० 56 का निर्माण वर्ष 2010 में इरकॉन कम्पनी द्वारा किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के बीच बेनीपुर अनुमंडल के धरौड़ा चौक से भरथ चौक, बेनीपुर तक सड़क किनारे दोनों बगल नाला का निर्माण नहीं होने के कारण उक्त स्थानों पर जल-जमाव हो जाने से आवागमन बाधित रहता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ के बीच सड़क के किनारे दोनों तरफ नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है । दरभंगा-कुशेश्वर स्थान पथ (एस०एच० 56) की कुल लम्बाई 64.00 कि०मी० का निर्माण राष्ट्रीय सम-विकास योजना की राशि से इरकॉन इन्टरनेशनल द्वारा किया गया था ।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । बरसात के समय जल-जमाव कुछ समय के लिये होता है, आवागमन बाधित नहीं होता है ।

(3) यह पथ वर्तमान में OPRMC के पैकेज नं० 14 में संधारण हेतु शामिल है । OPRMC के Minor Improvement (MI) मद से इस पथ के बेनीपुर बाजार भाग में पथ के दोनों किनारे 1,000 मीटर (यानी 2 x 1,000 मीटर कुल 2,000 मीटर) में जल निकासी हेतु पक्का नाला का निर्माण कराया जाना है। 100 मीटर लम्बाई में नाला का निर्माण कराया गया था, लेकिन पथ के दोनों किनारे अतिक्रमण रहने के कारण कार्य बाधित हो गया । अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर द्वारा अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। अतिक्रमण हटने के बाद बेनीपुर बाजार भाग में पथ के दोनों ओर 1.00 कि०मी० लम्बाई में पक्का नाला का निर्माण करा लिया जायेगा । शेष बचे भाग में कार्यपालक अभियंता से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जायेगा ।

सड़क का निर्माण

पथ-100.--**श्री गोपालजी ठाकुर**--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत दलसिंहसराय वरूणा पुल से दरभंगा जिलान्तर्गत घनश्यामपुर प्रखण्ड के रसियारी पुल तक सड़क का निर्माण कराया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के बीच दरभंगा जिलान्तर्गत बिरौल प्रखण्ड के जगन्नाथपुर चौक से बहेड़ी तथा बेनीपुर प्रखण्ड मुख्यालय तक सड़क निर्माण कार्य अत्यधिक धीमी रहने के कारण आवागमन बाधित है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त सड़क का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) कार्य प्रगति में है । यातायात बाधित नहीं है ।

(3) एकरारनामा के अनुसार कार्य को 13 नवम्बर, 2016 तक पूरा किया जाना है ।

डाक बंगला की मरम्मती

त-5--**श्री गोपालजी ठाकुर**--क्या मंत्री, भवन निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बहेड़ा एवं बहेड़ी में जिला परिषद्, दरभंगा का डाक बंगला जर्जर अवस्था में है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इन दोनों डाक बंगला को कबतक मरम्मती कराना चाहती है, अगर नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, दरभंगा के पत्रांक 1138, दिनांक 31 मार्च, 2015 के माध्यम से यह प्रतिवेदन प्राप्त है कि जिला अभियंता, जिला परिषद्, दरभंगा द्वारा बहेड़ा स्थित डाक बंगला के घेराबन्दी, भवन जीर्णोद्धार, उपस्कर, जलापूर्ति, रसोई घर एवं कैम्पस के सौन्दर्यीकरण हेतु लगभग । (डेढ़) वर्ष पूर्व मानीय विधायक श्री गोपालजी ठाकुर के अनुरोध पर रु० 1,36,00,000 (एक करोड़ छत्तीस लाखे) रुपये मात्र की राशि का प्राक्कलन तैयार कर दिया गया था तथा बहेड़ी डाक बंगला के जीर्णोद्धार हेतु रु० 1,17,00.000 (एक करोड़ सतरह लाख) रुपये मात्र की राशि का प्राक्कलन तैयार कर हस्तगत कराया गया था । तेरहवें वित्त आयोग की राशि से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को आँगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण के अतिरिक्त अन्य कयों में व्यय करने की स्वीकृति

राज्यादेश संख्या 5प/ते०वि०आ०-1-01/2013/पं०रा०/2042, दिनांक 31 मार्च, 2015 के माध्यम से सरकार द्वारा दी गयी है । जिला परिषद् के डाक बंगलों का जीर्णोद्धार एवं रख-रखाव इस मद में अवशेष राशि से एक युक्तिसंगत प्राक्कलन के आधार पर करने में जिला परिषद् सक्षम है । जिला परिषद् के पास यदि अपनी राशि उपलब्ध हो तो आवश्यकतानुसार यह अपने भवनों, जिसमें डाक बंगले भी सम्मलित हैं, के संधारण पर उचित व्यय कर सकती है । परन्तु प्राय: यह सूचना प्राप्त होती है कि जिला परिषद् में संसाधनों में कमी के कारण अति आवश्यक मदों पर व्यय, यथा कर्मियों के वेतन भुगतान/सेवान्त लाभ आदि के भुगतान में भी कठिनाई होती है । अतएव राशि के अभाव में इस प्रकार के दायित्वों के लंबित रहते हुये भी डाक बंगलों के जीर्णोद्धार पर एक बड़ी राशि का व्यय करना कितना युक्तिसंगत है, इसपर जिला परिषद् द्वारा भली-भाँति विचार कर लिया जाना चाहिये । वर्तमान मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि बहेड़ा एवं बहेड़ी की जिला परिषद् से दूरी लगभग 29-30 कि०मी० एवं 33 कि०मी० है । अत: सभी बिन्दुओं पर पूर्ण विचारोपरान्त जिला परिषद् दरभंगा, के स्तर से नियमानुकूल एवं उचित निर्णय लिया जाना चाहिये । वर्तमान में जिला परिषद्, दरभंगा की वित्तीय स्थिति उनके सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को देय सेवान्त लाभों की बकाया राशि को देखते हुये तथा वर्णित डाक बंगलों की जिला परिषद् से दूरी एवं उनके जीर्णोद्धार पर होने वाले भारी व्यय के मद्देनजर संबंधित डाक बगलों का जीर्णोद्धार कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य-212.--**श्रीमती गुलजार देवी**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत घोघरडीहा एवं लखनौर प्रखण्ड स्थित बेहरारी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क से नेमुआ रेलवे हॉल्ट तक जानेवाली सड़क कच्ची एवं जर्जर है, जिससे ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को भारी कष्ट का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित सड़क का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 1.8 कि०मी० है, जो कच्ची है । बेहरारी ग्राम को पिपरौलिया से बेहरारी पथ से एवं नेमुआ हॉल्ट को सुन्दर बिहारपुर से नेमुआ हॉल्ट पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । इस प्रकार प्रश्नाधीन दोनों स्थलों को एकल सम्पर्कता प्राप्त होने एवं बीच में कोई बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी भी कोर नेटवक में सम्मिलित नहीं किया जा सका है । अभी वर्णित स्थल पर पथ निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

पथ का निर्माण

पथ-87.--**श्री हरिनारायण सिंह**--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पभेरी मोड़ (पटना) से भाया डियावाँ (नालन्दा) लच्छु बिगहा, राम घाट (महमदपुर) एन०एच० 30 ''ए'' तक आर०डब्लू०डी० पथ (लम्बाई लगभग 22 कि०मी०) का अधिग्रहण पथ निर्माण विभाग में किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत एन०एच० 30 ''ए'' के रामघाट (महमदपुर) से लच्छु बिगहा तक तीन कि०मी० पथ अति जर्जर है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार एन०एच० 30 ''ए'' के राम घाट (महमदपुर) से लच्छु बिगहा तक तीन कि०मी० अति जर्जर पथ का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है । डियाँवां बेरथु पथ (पभेरी मोड़, पटना) से बेरथु,करायपरसुराय, डियावाँ, कोरारी, हाजीपुर, बलधा, दामोदरपुर, शाहपुर से एन०एच० 30 ''ए'' राम घाट तक पथ का अधिग्रहण पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं० 1826 (एस), दिनांक 28 फरवरी, 2014 द्वारा किया गया है । पथ की कुल लम्बाई 24.00 कि०मी० है ।

(2) स्वीकारात्मक है । एन०एच० 30 ''ए'' के राम घाट (महमदपुर) कि०मी० 0 से लच्छु बिगहा (रेलवे लाइन) कि०मी० 2.65 तक लम्बाई में पथ की स्थिति जर्जर है ।

(3) उक्त अधिग्रहित पथ के पथांश एन०एच० 30 ''ए'' के राम घाट (महमदपुर) से लच्छु बिगहा (कि०मी० 0 से 2.65) तक के उन्नयन कार्य हेतु रु० 330.00 लाख (तीन करोड़ तीस लाख) रुपये के प्राक्कलन की तकनीकी अनुमोदन प्रदान की गई है । वित्तीय वर्ष 2015-16 के कार्य योजना में सम्मिलित कर कार्य कराने का लक्ष्य है ।

कार्रवाई करना

ग्राम्य-101.--**डॉ0 इजहार अहमद**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के गौड़ा बैराम विधान-सभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री सेतु योजना से कसरौर, बसौली पुल, कसरौर जिरौना पुल, वगरहट्टा-सुपौल पथ में पुल, भुसकौल संस्कृत विद्यालय के पास पुल की स्वीकृति हुये पाँच वर्ष हो गया एवं कार्य भी आरम्भ हुये हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि प्राक्कलन के अनुसार उक्त कार्यों को विगत तीन वर्ष पूर्व ही पूरा किया जाना था लेकिन आजतक कार्य अधूरे पड़े हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो इसका क्या औचित्य है तथा आजतक उक्त कार्यों को पूरा नहीं करने वाले संवेदक एवं पदाधिकारी के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार सरकार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत पुल का निर्माण जिला पदाधिकारी, दरभंगा के माध्यम से ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराया जा रहा है । ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त सूचनानुसार मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत कसरौर, करकौली में पुलिया निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति 14 नवम्बर, 2012 को प्राप्त है । कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 19 मार्च, 2013 है । कार्य पूर्ण करने की तिथि 18 सितम्बर, 2013 है । पियर (Pier) का ईंट जोड़ाई का कार्य पूर्ण है । abutment का ईंट जोड़ाई का कार्य प्रगति पर है । संवेदक द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण उसके विपत्र से 10 प्रतिशत की राशि की कटौती की जा रही है । दिनांक 15 मई, 2015 तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा ।

(2) मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत वगरहट्टा-सुपौल पथ में पुल की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 17 फरवरी, 2012 को प्राप्त है । कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 9 अप्रील, 2013 है तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि 10 अक्तूबर, 2013 है । Deck Slab का ढलाई कार्य पूर्ण हो चुका है । संवेदक द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण उसके विपत्र से 10 प्रतिशत की राशि की कटौती की जा रही है । दिनांक 30 अप्रील, 2015 तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा ।

(3) गौरा बौराम प्रखण्ड अन्तर्गत कसरौल-जिरौना पथ में पुल निर्माण के कार्य के प्रारम्भ की तिथि (एकरारनामा की तिथि) 4 फरवरी, 2011 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 3 अगस्त, 2011 है । इसमें Deck Slab, Wing Wall का कार्य पूर्ण है । Wing Wall का प्लाटर एवं एप्रोच के स्लोप में मिट्टी एवं ईंट सोलिंग का कार्य शेष है । कार्य में विलम्ब के लिये संवेदक के विपत्र से 10 प्रतिशत राशि काटी जा रही है । दिनांक 30 अप्रील, 2015 तक कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा ।

गौरा बौराम प्रखण्ड अन्तर्गत भुसकौल गाँव में संस्कृत विद्यालय के पास पुल निर्माण के कार्य प्रारम्भ की तिथि (एकरारनामा की तिथि) 4 फरवरी, 2011 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 3 अगस्त, 2011 है । इसमें Deck Slab का कार्य पूर्ण है । Wing Wall एप्रोच रेलिंग एवं प्लास्टर का कार्य शेष है । कार्य में विलम्ब के लिये संवेदक के विपत्र से 10 प्रतिशत राशि काटी जा रही है । दिनांक 30 मई, 2015 तक कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा ।

पथ का निर्माण

पथ-81.--श्री जितेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत अस्थावां प्रखण्ड के सारे से नोआवाँ तक पथ का निर्माण विगत दो वर्ष हो चुका है परन्तु नोआवाँ से नायापुर ग्राम तक 2 कि०मी० तक पथ का निर्माण कराये जाने का आदेश विभाग ने वर्ष 2013-14 में दिया था परन्तु आजतक उक्त पथ 2 कि०मी० पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, जिससे वहाँ की आम जनता में आक्रोश है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है तथा सरकार कबतक उक्त पथ के निर्माण का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । प्रश्न का प्रथम भाग पथ प्रमण्डल, बिहारशरीफ के अधीन है । नाबार्ड योजनान्तर्गत सारे नोआवाँ पथ के कि०मी० 0 से 11.75 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य पथ प्रमण्डल, बिहारशरीफ द्वारा वर्ष 2013 में पूर्ण किया गया है, जिसकी स्थिति अच्छी है । प्रश्न का द्वितीय भाग पथ प्रमण्डल, नवादा के अधीन है । नोआवाँ से मायापुर ग्राम तक पथ (लम्बाई 2.00 कि०मी०) MDR पथ नेपुरा से नोआवाँ का पथांश है, जिसकी लम्बाई 6.1 कि०मी० है, जिसे वित्तीय वर्ष 2014-15 में CMBD (Construction Cumitl Maintenance Bindding Document) के तहत कार्य माह फरवरी, 2015 में पूर्ण करा लिया गया है, पथ की स्थिति अच्छी है एवं आवागमन सुचारू रूप से चालू है ।

नाला का निर्माण

पथ-11.--श्री जवाहर प्रसाद--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के तिलौथु में मुख्य पथ के दोनों तरफ नाला नहीं होने के कारण ग्रामीण को जल निकासी की सुविधा के अभाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित पथ के किनारे जल निकासी हेतु नाला निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । सासाराम-तिलौथु पथ CMBD (Construction Cumitl Maintenance Bindding Document) के अन्तर्गत है । इस पथ के 19वें कि०मी० तिलौथु गाँव अवस्थित है । नाला निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2015-16 में कराने का लक्ष्य है ।

कल्भर्ट निर्माण

पथ-51.--श्री कृष्णनन्दन पासवान--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत मोतिहारी से अरेराज जानेवाली पथ में तुरकौलिया प्रखण्ड के कवलपुर ग्राम के सामने पथ में कल्भर्ट नहीं रहने के कारण बवलपुर ग्राम में जल-जमाव हो जाता है, जिस कारण ग्रामीण महामारी का शिकार हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पर कबतक पथ में आर०सी०सी० कल्भर्ट निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । मोतिहारी से अरेराज जानेवाली पथ में कवलपुर ग्राम के सामने एक पुलिया (Cross Drain) का निर्माण अगले बरसात के पूर्व गैर-योजना मद से निर्माण हेतु मुख्य अभियंता को निदेश दिया गया है ।

सेतु का निर्माण

ग्राम्य-229.--श्री कृष्णनन्दन पासवान--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत प्रखण्ड हरसिद्धि के पान्नापुर रॅजिता, गोंड़ा घाट पुल एवं तुरकौलिया प्रखण्ड के मझार गाँधी घाट, भलुआ धनौती नदी पर मुहब्बत छपरा, कुन्ना महतो टोला में सेतु निर्माण नहीं होने के कारण आमजनों को काफी लम्बी दूरी तय करना पड़ता हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थलों पर सेतु का निर्माण कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न पाँच पुलों से संबंधित है--

1. **पान्नापुर रंजिता पर पुल**--यह पुल पान्नापुर बाजार से बघउत, सुगाँव आर०डब्लू०डी० पथ पर अवस्थित है । यहाँपर 50 मीटर लम्बे उच्चस्तरीय पुल की आवश्यकता होगी । प्रश्नाधीन स्थल से लगभग 8.0 कि०मी० अप स्ट्रीम में तथा 6.0 कि०मी० डाउन स्ट्रीम में उच्चस्तरीय पुल पूर्व से निर्मित है । अभी वर्णित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(2) **गोड़ा घाट पर पुल**--यह पुल बैरियाडीह से गोड़ा घाट आर०डब्लू०डी० पथ पर अवस्थित है । यहाँपर 50 मीटर लम्बे उच्चस्तरीय पुल की आवश्यकता होगी । प्रश्नाधीन स्थल से लगभग 4.0 कि०मी० अप स्ट्रीम में तथा 10.0 कि०मी० डाउन स्ट्रीम में उच्चस्तरीय पुल पूर्व से निर्मित है । अभी वर्णित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(3) **मझार गाँधी घाट पर पुल**--यह पुल एल० 31 (गाँधी घाट) से मझार पथ जो पी०एम०जी०एस०वाई० अन्तर्गत स्वीकृति की प्रक्रिया में है, पर अवस्थित है । यहाँपर 50 मीटर लम्बे उच्चस्तरीय पुल की आवश्यकता होगी । पुल को पी०एम०जी०ए०वाई० मिसिंग ब्रीज के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा रहा है ।

(4) **भलुआ धनौती नदी पर पुलः**--यह पुल टी०2 से भलुआ पथ जो पी०एम०जी०एस०वाई० अन्तर्गत स्वीकृति की प्रक्रिया में है पर अवस्थित है । यहाँपर 50 मीटर लम्बे उच्चस्तरीय पुल की आवश्यकता होगी । पुल को पी०एम०जी०ए०वाई० मिसिंग ब्रीज के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा रहा है ।

(5) **मुहब्बत छपरा, कुन्ना महतो टोला पर पुल**--यह पुल टी०4 से कुन्ना महतो टोला पथ पर अवस्थित है । यहाँपर 30 मीटर लम्बे उच्चस्तरीय पुल की आवश्यकता होगी । पथ स्टेट कोर नेटवर्क सी०एन०सी०एल० के क्रमांक-7 पर अंकित है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रमानुसार पथों एवं पुलों का निर्माण कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा ।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य-182.--श्री कुमार शैलेन्द्र--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखण्ड के मड़वा पूरब पंचायत के ग्राम-हिरदी चौक, वार्ड नं० 3, यादव टोला में मो० अयुब के घर से एन०एच० 31 तक लगभग 500 फीट सड़क काफी जर्जर रहने के कारण ग्रामीण लोगों को आने-जाने में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार ग्राम हिरदीचक, वार्ड नं० 3, यादव टोला में जर्जर सड़क का नये सिरे से सड़क का निर्माण कार्य कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आँशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ एन०एच० 31 से जुड़ा हुआ है तथा गलीनुमा सड़क है । उक्त पथ की औसत चौड़ाई 10 फीट एवं लम्बाई लगभग 570 फीट है। पथ में ईंट सोलिंग का कार्य स्थानीय निकाय द्वारा कराया गया है जो आँशिक रूप से क्षतिग्रस्त है । उक्त कारणों से यह पथ राज्य कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है । वर्तमान में प्रश्नाधीन पथ का निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सड़क का जीर्णोद्धार

ग्राम्य-376.--श्री कृष्ण कुमार ऋषि--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के बरहरा प्रखण्ड से बिहारी गंज एवं बड़हरा से बनमनखी तथा बरहरा प्रखण्ड से धमदाहा सड़क विगत 4 वर्षों से जर्जर है तथा उक्त तीनों पथ जर्जर होने से आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त तीनों सड़कों का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आँशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन कुल तीन पथों की स्थिति निम्नवत है:--

1. **बरहरा से बिहारीगंज तक पथ**--उक्त पथ की कुल लम्बाई 12.74 कि०मी० है जिसमें से 8. 40 कि०मी० पथ क्षतिग्रस्त है जिसमें से इस पथांश के 7.07 कि०मी० भाग में पी०एम०जी०एस०वाई० योजनान्तर्गत निर्माण कार्य कराया गया है जो अत्यधिक भारी वाहनों के आवागमन से क्षतिग्रस्त हो गया है। यह पथ अनुरक्षण अवधि में है, इसका अनुरक्षण संवेदक द्वारा करा दिया जायेगा तथा शेष 0.43 कि०मी० पथांश शीर्ष-3054 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में निर्मित है। शेष पथांश 0.90 कि०मी० एम०एन०पी० योजना से बनी है जिसकी अनुरक्षण अवधि समाप्त हो चुकी है। इसे श्रेणी-1 के पथों की सूची में शामिल कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में मरम्मती योग्य पथों का चयन प्रक्रियाधीन है। तदोपरान्त निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त पथांश की मरम्मती हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी। शेष 4.34 कि०मी० भाग की स्थिति अच्छी है।

2. **बरहरा से बनमनखी तक पथ**--उक्त पथ का पथांश बरहरा से सुखसैना जिसकी लम्बाई 4.0 कि०मी० है जिसका विगत वित्तीय वर्षों में शीर्ष-3054 योजना मद से मरम्मती कार्य कराया गया है तथा स्थिति अच्छी है। सुखसैना से बनमनखी तक पथ की लम्बाई 9.587 कि०मी० है। यह श्रेणी-1 के अन्तर्गत स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

3. **बरहरा से धमदाहा पथ**--उक्त पथ की लम्बाई 10.024 कि०मी० है। शीर्ष-3054 अन्तर्गत श्रेणी-1 के पथों की सूची में स्वीकृत है एवं यह निविदा की प्रक्रिया में है।

भवन बनाना

सामु-22.--**श्री कृष्णनन्दन यादव**--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के खिजरसराय प्रखण्ड के पंचायतों में मनरेगा भवन नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि सभी पंचायतों में एक-एक मनरेगा भवन बनाया जाना है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खिजरसराय प्रखण्ड के सभी पंचायतों में एक-एक मनरेगा भवन बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि गया जिले के प्रखण्ड खिजरसराय अन्तर्गत प्रखण्डस्तरीय मनरेगा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है और वर्तमान में मनरेगा कार्यालय इसी भवन में कार्यरत है। साथ ही प्रखण्ड खिजरसराय अन्तर्गत सभी पंचायतों में मनरेगा भवन का निर्माण कराया जाना है, जिसमें से दो ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। शेष ग्राम पंचायतों में मनरेगा भवन का कार्य चरणबद्ध तरीके से करा दिया जायेगा।

पुल का निर्माण

ग्राम्य-249.--**श्री ललन राम**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत प्रखण्ड कुटुम्बा में अम्बा से देव तक जाने वाली पथ में बटाने नदी पर पुल नहीं रहने के कारण वर्षात के दिनों में आवागमन में काफी कठिनाई होती है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क से चैत्र माह एवं कार्तिक में छठ पूजा के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बटाने नदी पर पुल निर्माण कराकर आवागमन बहाल कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक है। औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखण्ड कुटुम्बा में अम्बा से देव पथ की कुल लम्बाई 17.00 कि०मी० है। इस पथ में IRQP कार्य वित्तीय वर्ष 2013-14 में CMBD (Construction Cumitl Maintenance Bidding Document) के तहत प्रगति में है। इस पथ के प्रथम

कि०मी० में स्थित बटाने नदी पर Causeway निर्मित है, जिसकी कुल लम्बाई लगभग 250 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है । वर्तमान में यह चालू हालत में है । बरसात के दिनों में यातायात चालू रहता है । वाहनों के आवागमन में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) इस स्थान पर उच्चस्तरीय पुल के निर्माण हेतु Viability एवं Feasibility रिपोर्ट बनाने के लिये प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० से मुख्य अभियंता (यां०), दक्षिण बिहार, उप-भाग द्वारा पत्रांक 1365, दिनांक 4 अप्रील, 2015 के द्वारा अनुरोध किया गया है जिसे प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी ।

सड़क का चौड़ीकरण

पथ-78.--**श्री ललित कुमार यादव**--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के दरभंगा बी०आई०पी० रोड, बेंता चौक से अललपट्टी मोड़ चौक तक की सड़क का चौड़ीकरण नहीं हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क के चौड़ीकरण के लिये कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, दरभंगा के पत्रांक 1171, दिनांक 2 अगस्त, 2014 द्वारा अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, दरभंगा को प्राक्कलन बनाने हेतु पत्र लिखा है और 2 करोड़ 12 हजार 900 रुपये का प्राक्कलन बनाया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क का चौड़ीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है । दरभंगा शहर में VIP पथ (लहेरियासराय टावर से बेंता चौक, अललपट्टी, दोनार, दरभंगा रेलवे स्टेशन होते हुये भंडार चौक तक) का चौड़ीकरण हो चुका है ।

(2) उक्त पथ के बेंता चौक, अललपट्टी चौक, दोनार चौक, बाघ मोड़ पथ के अतिरिक्त चौड़ीकरण हेतु प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता द्वारा जिला पदाधिकारी के निर्देश पर तैयार किया गया है ।

(3) वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृति के संबंध में विचार किया जायेगा ।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य-140.--**श्री महेन्द्र बैठा**--क्या मंत्री, ग्रमीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत पातेपुर प्रखण्ड के हबीबपुर चौक होते हुये बेलादम सिमांत तक सड़क कच्ची है, जिससे आवागमन बाधित रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थित यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 4.5 कि०मी० है । हबीबपुर चौक से भुसाही चौक तक पथ की लम्बाई 2.5 कि०मी० है जो राज्य कोर नेटवर्क सी०एन०सी०पी०एल० के क्रमांक-13 पर अंकित है । भुसाही चौक से बेलादम सिमांत तक पथ की लम्बाई 2.0 कि०मी० है जो राज्य कोर नेटवर्क सी०यू०पी०एल० के क्रमांक-3 पर अंकित है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रमानुसार पथों का निर्माण कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा ।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य-141.--**श्री महेन्द्र बैठा**--क्या मंत्री, ग्रमीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत पातेपुर प्रखण्ड के सुक्की, लोहापुर से शेसवननी होते हुये टेकनारी चौक एवं टकनारी चौक से चक्कशेव कुतुपुर तक सड़क कच्ची है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थित यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 2.8 कि०मी० है जो कच्ची है । यह पथ स्टेट कोर नेटवर्क सी०एन०सी०पी०एल० के क्रमांक-42 एवं 48 पर अंकित है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रमानुसार पथों का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

सड़क का जीर्णोद्धार

पथ-94.--**श्रीमती मुन्नी देवी**--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के इजरी पीपरा बाँध सड़क शाहाबाद पथ प्रमण्डल, आरा के अधीन है और अत्यंत जर्जरावस्था में रहने के चलते आवागमन बाधित है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013 में आयी भीषण बाढ़ में इस सड़क पर बना पुल ध्वस्त हो गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क का जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पथ का नाम बिहिया चौरस्ता से सलेमपुर है । इसकी कुल लम्बाई 11.30 कि०मी० है । इस पथ को केन्द्रीय एजेन्सी एन०पी०सी०सी० द्वारा PMGSY के अन्तर्गत निर्माण कराकर 5 वर्ष बाद वर्ष 2014 में पथ निर्माण विभाग को हस्तानान्तरण हुआ है । फलत: यह पथ OPRMC के अन्तर्गत नहीं किया जा सका । वर्ष 2014-15 में गैर-योजना मद से आवश्यक मरम्मती कराकर यातायात चालू रखा गया है ।

(2) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । इस पथ के कि०मी० 10.90 पर रामडीहरा स्थित पुल के पास वर्ष 2013 में बाढ़ के कारण ध्वस्त नहीं हुआ बल्कि बाढ़ में सुरक्षा बाँध बचाने हेतु ग्रामीणों द्वारा पथ को काट दिये जाने के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया एवं पथ लगभग 30 मीटर में बह गया ।

(3) 36 मीटर लम्बे उच्चस्तरीय पुल सहित सड़क निर्माण का प्राक्कलन कुल रुपया 2692.03 लाख (छब्बीस करोड़ बेरानवे लाख तीन हजार) रुपये मात्र की स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्य कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

पुल का निर्माण

पथ-83.--**श्री मुजाहिद आलम**--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखण्डान्तर्गत ठाकुरगंज से मुरालीगच्छ जानेवाली पी०डब्लू०डी० में अधिग्रहित की गई सड़क के मानिकपुर के पास चेंगा नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जिससे क्षेत्र के तीस हजार से अधिक जनसंख्या को आवागमन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड के लगभग चार पंचायतों को प्रखण्ड मुख्यालय से जोड़नेवाली यही एक मात्र मार्ग है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । मुरालीगच्छ बंगाल बॉडर से ठाकुरगंज पथ (लम्बाई 15.20 कि०मी०) का अधिग्रहण ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में वर्ष 2014-15 में किया गया है एवं स्वीकृति के पश्चात् पथ निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया है । इस पथ में ठाकुरगंज से 4थे कि०मी० में पुराना स्क्रू पाईल पुल 98 मीटर लम्बाई का क्षतिग्रस्त स्थिति में है । इस स्थल पर 4×25 m का उच्चस्तरीय पुल का निर्माण की आवश्यकता है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस स्थल पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण की योजना कार्य योजना में शामिल करने एवं इसकी स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।

पुल का जीर्णोद्धार

ग्राम्य-63.--**श्रीमती नीता चौधरी**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के तारापुर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत खैरा के ग्राम-खैरा में स्थित चमरगद्दा पुल की स्थिति काफी जर्जर है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पुल का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आँशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल आँशिक रूप से क्षतिग्रस्त है । उक्त पुल की लम्बाई 7 मीटर है । उक्त पुल का Deck Slab (डेक स्लैब) अच्छी स्थिति में है परन्तु Cutt off wall (कट ऑफ बाल), Floor (फ्लोर), Protection Wall (प्रोटेक्शन बाल) एवं Approach (एप्रोच) क्षतिग्रस्त जिसकी मरम्मती की आवश्यकता है । संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता को प्राक्कलन समर्पित करने का निदेश दिया गया है । तदोपरान्त इसके मरम्मती पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

पथ का निर्माण

पथ-102.--**श्री नरेन्द्र कुमार नीरज**--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला भागलपुर के प्रखण्ड रंगरा चौक के कटरिया-तीनटंगा पथ का चौड़ीकरण कार्य विगत कई वर्षों से चल रहा है जो अभीतक अपूर्ण है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त अधूरे पथ का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--कटिहार-तीनटंगा पथ की कुल लम्बाई 9.31 कि०मी० है, जिसे वित्तीय वर्ष 2011-12 के अधीन IRQP कार्य (कि०मी० 2 से 10 (अंश) लम्बाई 8.31 कि०मी०) के अन्तर्गत मे० सावित्री कन्ट्रक्शन, बाँका को एकरारनामा संख्या 03/SBD/NP/2012-13 द्वारा आवंटित किया गया । एकरारनामित राशि रु० 3.32 करोड़ (तीन करोड़ बत्तीस लाख) रुपये है तथा आरम्भ की तिथि 25 अप्रील, 2012 एवं समाप्ति की तिथि 24 जून, 2013 है । कार्य की अपेक्षित प्रगति नहीं रहने के कारण कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, भागलपुर के कार्यालय आदेश सं० 36, सह-पठित ज्ञापांक 703, दिनांक 24 अप्रील, 2013 द्वारा एकरारनामा विखंडित किया गया । पुनः संवेदक के अनुरोध पर एक और मौका देते हुये अधीक्षण अभियंता के पत्रांक 514, दिनांक 25 अप्रील, 2013 के द्वारा कार्य कराने की अनुमति प्रदान की गई । कार्य में धीमी प्रगति के कारण कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, भागलपुर के पत्रांक 82 सह-पठित ज्ञापांक 2747, दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 द्वारा पुनः कार्य के एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया । सी०डब्लू०जे०सी० सं० 2721/2014 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 2 दिसम्बर, 2014 को पारित आदेश के अनुपालन में संवेदक को दिनांक 31 मई, 2015 तक कार्य पूर्ण करने का आदेश दिया गया है जिसमें भी अपेक्षित प्रगति नहीं है ।

पुल निर्माण कराना

पथ-92.--**श्री पवन कुमार जायसवाल**--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ढाका प्रखण्ड में बलुआ-लौखान के बीच आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु निविदा फरवरी, 2014 में हुआ था;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त आर०सी०सी० पुल की निविदा विभागीय उदासीनता के कारण निष्पादन नहीं होने से पुल के निर्माण में देरी के कारण आमजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निविदा का निष्पादन कराकर आर०सी०सी० पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) अस्वीकारात्मक है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला संचालन समिति द्वारा जो सूची अनुमोदित की गई है, उसमें प्राथमिकता सूची क्रमवार न देकर विधान-सभा वार सूची दी गई एवं विधान-सभा में एक से अधिक योजना भी है । कार्णांकित राशि के सीमा तक ऊपर से विधान-सभा का एक-एक योजना चयनित किया गया । इस आधार पर सूची के क्रमांक-1 पर अंकित रक्सौल विधान-सभा का एक क्रमांक-3 पर अंकित सुगौली विधान-सभा का एक, क्रमांक-7 पर अंकित ढाका विधान-सभा का एक योजना एवं क्रमांक-14 पर अंकित हरसिद्धि विधान-सभा का एक योजना का चयन किया गया । इस प्रकार मात्र 4 (चार) योजनाओं का चयन कर्णांकित राशि में हो सका । पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 3039, (एस), दिनांक 15 अप्रील, 2013 द्वारा कुल रु० 1908.00 लाख (एक हजार नौ सौ आठ लाख) इस जिले के लिये कर्णांकित किया गया था । पुन: इस जिले के दायित्व (Lability) को सामंजित (Adjust) करते हुये पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 6792, (एस), दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा कुल रु० 1262.91 लाख (एक हजार दो सौ बासठ लाख एकानवे हजार) का संशोधित कार्णांकित राशि संसूचित किया गया । पूर्व में स्वीकृत कर्णांकित राशि के अनुसार कुल 9 योजनाओं का चयन किया गया था एवं समय के बचत के दृष्टिकोण से प्रशासनिक स्वीकृति के प्रत्याशा में इनका निविदा प्रकाशित किया गया था, जिसमें प्रसंगाधीन योजना सम्मिलित था । किन्तु कर्णांकित राशि कम हो जाने के कारण प्रसंगाधीन योजना का प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिल पाया । फलत: निविदा का निष्पादन नहीं हो सका ।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य-290.--**श्रीमती रजिया खातुन**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर प्रखण्ड के सिसवा खरार पंचायत में मननपुर बाजार से भगवतीया जानेवाली सड़क कच्ची सड़क है, जिस कारण स्थानीय लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित स्थान पर कबतक पक्की सड़क का निर्माण कराना चाहती है ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ मननपुर बाजार से भगवतीया की लम्बाई 3.0 कि०मी० है जो कच्ची है । मननपुर बाजार को मननपुर चौक से सिसवा-खरार पथ एवं भगवतीया को पी०एम०जी०एस०वाई० पथ से एकल सम्पर्कता प्राप्त है । मननपुर बाजार एवं भगवतीया के बीच कोई भी पात्र बसावट नहीं रहने के कारण इस पथ को किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किया जा सका । अभी वर्णित पथ के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य-289.--**श्रीमती रजिया खातुन**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर प्रखण्ड के बखरी पंचायत में नन्द किशोर यादव के घर से महादलित बस्ती (टोला) होते हुये सुभौली नदी तक जानेवाली सड़क कच्ची है जिस कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित स्थान पर पी०सी०सी० सड़क का निर्माण कराना चाहती है ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ नन्द किशोर यादव के घर से महादलित बस्ती (टोला) होते हुये सुभौली नदी की लम्बाई 600 मीटर है जो कच्ची है । नन्द किशोर यादव का घर वैरवा गाँव में है जो पी०एम०जी०एस०वाई० पथ पर अवस्थित है । यहाँ से 400 मीटर पर महादलित बस्ती है, जिसकी आबादी करीब 150 है जो वैरवा गाँव का टोला है । इस कारण प्रश्नाधीन पथ को किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किया जा सका । अभी वर्णित स्थल पर पथ निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

भवन का जीर्णोद्धार

साम्‌-27.--**श्रीमती रजिया खातुन**--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर प्रखण्ड कार्यालय के भवन जर्जर हैं एवं चहारदीवारी नहीं हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक कल्याणपुर प्रखण्ड कार्यालय के भवन का जीर्णोद्धार कर चहारदीवारी का निर्माण कराना चाहती है ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सभी नवसृजित एवं पुराने वैसे प्रखण्ड जिनके कार्यालय भवन जो जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं, उनके कार्यालय एवं आवासीय भवन तथा परिसर विकास एवं चहारदीवारी निर्माण नयी तकनीक के आधार पर किये जाने हेतु राज्य सरकार कृतसंकल्पित है । इसी क्रम में अबतक 77 प्रखण्डों के प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय, आवास निर्माण, निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास तथा चहारदीवारी के निर्माण का कार्य हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है । इसके साथ ही प्रखण्डों में प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र भवन का निर्माण भी प्रक्रियाधीन है । पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर 101 प्रखण्ड के प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय-सह-आवासीय भवन, निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास तथा चहारदीवारी भी चरणबद्ध ढंग से कराया जायेगा ।

सड़क का पक्कीकरण

ग्राम्य-279.--**श्री रत्नेश सादा**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत प्रखण्ड पतरघट के अलौली पश्चिमी पंचायत के कारगिल चौक से मानिकपुर-पतरघट जानेवाली सड़क काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जीर्ण-शीर्ण सड़क का पक्कीकरण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 3.84 कि०मी० है तथा ईंट सोलिंग पथ है । उक्त पथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सी०एन०सी०पी०एल० के क्रमांक-18 पर अंकित है । एन०आर०आर०डी०ए०, भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् उक्त पथ का निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा ।

एन० एच० निर्माण कराना

पथ-88.--**श्री रत्नेश सादा**--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा से मनौरी, बख्तियारपुर, बनमा बाजार होते बरियाही तक एन०एच० 107, वर्ष 2001 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त एन०एच० का सर्वे कार्य वर्ष 2014 दिसम्बर से प्रारम्भ है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सर्वे के कार्य में तेजी लाने तथा निर्माण की दिशा में कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा से मनौरी, बख्तियारपुर, बनवा बाजार होते हुये बरियाही तक का पथांश राष्ट्रीय उच्च पथ सं० 107 का अंश है, जिसमें सोनबरसा बाजार कि०मी० 34 में एवं बरियाही 66 में अवस्थित है । राष्ट्रीय उच्च पथ सं० 107, दिनांक 20 जून, 2001 से राष्ट्रीय उच्च पथ के रूप में परिवर्तित है ।

(2) स्वीकारात्मक है । राष्ट्रीय उच्च पथ सं० 107 की कुल लम्बाई 180 कि०मी० तथा पूरा पथांश NHAI को enterusted है । NHAI के पदाधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि कन्सलटेन्ट के माध्यम से पूरे पथांश के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु DPR तैयार किया गया है, जो NHAI मुख्यालय में स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है, जिसमें 2 lane with paved shoulder का प्रावधान है ।

(3) NHAI द्वारा सूचित किया गया है कि DPR दो भागों में तैयार किया गया है, जिसमें महेशखूँट से मधेपुरा के लिये 402 करोड़ एवं मधेपुरा से पूर्णियाँ के लिये 470 करोड़ कन्सलटेन्ट के द्वारा दिनांक 4 जुलाई, 2014 को NHAI को समर्पित किया गया है तथा भू-अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। भूमि-अधिग्रहण के अन्तर्गत एन०एच० 1956 ऐक्ट की धारा 3(*a*) के तहत कार्रवाई सभी जिला का हो चुका है । 3(*A*) की अधिसूचना की कार्रवाई चल रही है ।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य-280.--**श्री रत्नेश सादा**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत प्रखण्ड सोनवर्षा के सोह पंचायत के रजवारा प्रा० विद्यालय से सिररी तक की सड़क विगत दो वर्षों से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा दिनांक 24 अप्रील, 2014 एवं 26 अक्तूबर, 2014 को पत्र के माध्यम से स्थानीय पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया परन्तु इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ है, जिसके कारण ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रा० विद्यालय से सिररही तक पक्की सड़क का निर्माण कैर आवागमन बहाल कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ राज्य कोर नेटवर्क के सी०एन०सी०पी०एल० के क्रमांक-28, पर सिररही प्रधानमंत्री सड़क से रजवारा मंदिर के नाम से अंकित है । उक्त पथ की लम्बाई 3.4 कि०मी० है । प्राथमिकतानुसार एवं क्रमानुसार उक्त पथ का निर्माण कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

आवास का निर्माण

सामु-30.--**श्री रामायण मांझी**--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के गुठनी, दरौली प्रखण्ड मुख्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी के आवास जर्जर हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड के पदाधिकारी एवं कर्मचारी के आवास का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सभी नवसृजित एवं पुराने वैसे प्रखण्ड जिनके कार्यालय भवन जो जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं, उनके कार्यालय एवं आवासीय भवन तथा परिसर विकास एवं चहारदीवारी निर्माण नयी तकनीक के आधार पर किये जाने हेतु राज्य सरकार कृतसंकल्पित है । इसी क्रम में अबतक 77 प्रखण्डों के प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय, आवास निर्माण, निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास

तथा चहारदीवारी के निर्माण का कार्य हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है । इसके साथ ही 101 प्रखण्डों में प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र के भवन का निर्माण भी प्रक्रियाधीन है । शेष बचे प्रखण्डों के साथ-साथ सीवान जिला के गुठनी एवं दरौली प्रखण्ड के प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय-सह-आवासीय भवन, निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास तथा चहारदीवारी भी चरणबद्ध ढंग से कराया जायेगा ।

पथ की मरम्मती

ग्राम्य-374.--**श्री राजेश्वर राज**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के तहत चौगाई से चिकसील जानेवाली पथ पिछले दस वर्षों से जर्जर है;

(2) यदि हाँ, तो सरकार उक्त उक्त पथ की मरम्मती का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 2.00 कि०मी० है । इस पथ का निर्माण स्थानीय विधायक मद से करीब 20 वर्ष पूर्व कराया गया था । वर्तमान में पथ का कालीकरण परत खराब हो चुका है । चालू वित्तीय वर्ष में मरम्मती मद की श्रेणी II, उक्त पथ प्रस्तावित है । प्राथमिकता क्रमानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में मरम्मती संबंधित अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

सड़क की मरम्मती

ग्राम्य-375.--**श्री राजेश्वर राज**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के विक्रमगंज प्रखण्ड के बेरी-इटढ़िया पथ पर ग्राम-इटढ़िया के पास पिछले वर्ष आई बाढ़ के कारण 100 मीटर की लम्बाई में पथ के बह जाने के कारण इटढ़िया गाँव का सम्पर्क संझौली तथा विक्रमगंज प्रखण्ड मुख्यालय से भंग हो गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित पथ का प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, विक्रमगंज द्वारा छः माह पूर्व मुख्यालय, पटना को समर्पित करने के बावजूद इसका जीर्णोद्धार अबतक शुरू नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित सड़क की मरम्मती का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम-इटढ़िया के पास प्रश्नाधीन पथ के क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई मात्र 100 मी० है, जो बेरी-इटढ़िया पथ का पथांश है । प्राथमिकता क्रमानुसार एवं संसाधन की उपलब्धता के आधार पर इसकी मरम्मती करायी जा सकेगी ।

सड़क का जीर्णोद्धार

ग्राम्य-385.--**श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के बड़हरा प्रखण्ड के बबुरा-सब्बलपुर पथ, आरा प्रखण्ड के धमार से अगसंडा-बेहरा पथ, कोईलवर प्रखण्ड के इंडिस्ट्रियल एरिया से बागमझौवा पथ भाया वीरमपुर-किशुनपुर पथ कायमनगर से लौंग बाबा मठिया सड़क की स्थिति जर्जर है;

(2) यदि हाँ, तो सरकार कबतक इन सड़कों के जीर्णोद्धार का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न निम्नांकित चार पथों से संबंधित है:--

1. भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा प्रखण्ड के बबुरा से सबलपुर पथ--इस पथ की लम्बाई लगभग 2.0 कि०मी० है, जिसका निर्माण पूर्व में राज्य योजना से किया गया था । मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत जीर्णोद्धार हेतु यह पथ प्रस्तावित है । प्राथमिकता क्रमानुसार एवं संसाधन की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

2. आरा प्रखण्ड के धमार से अगरसंडा-बेहरा पथ--इस पथ की कुल लम्बाई 9.75 कि०मी० है, जिसका निर्माण नाबार्ड योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 में कराया गया था । यह पथ श्रेणी I के अन्तर्गत प्रस्तावित है । प्राथमिकता क्रमानुसार एवं संसाधन की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

3. कोईलवर प्रखण्ड के इंडस्ट्रियल एरिया गीधा से बाग-मझौवा पथ भाया विरमपुर-किशुनपुरा पथ--इस पथ की कुल लम्बाई 10.00 कि०मी० है । इसका निर्माण नाबार्ड योजनान्तर्गत वर्ष 2006-07 में कराया गया था । यह पथ राज्य कोर नेटवर्क के सी०यू०पी०एल० की सूची में क्रमांक-1 पर अंकित है । जीर्णोद्धार हेतु यह पथ मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत प्रस्तावित है । प्राथमिकता क्रमानुसार एवं संसाधन की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

4. कोईलवर प्रखण्ड अन्तर्गत कायम नगर से चातर सूर्यमंदिर भाया लौंग बाबा मठिया पथ--इस पथ की लम्बाई 9.80 कि०मी० है । यह पथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पैकेज संख्या BR-07/29) अन्तर्गत केन्द्रीय एजेंसी, एन०पी०सी०सी० द्वारा निर्मित है, जिसकी पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि मार्च, 2015 में समाप्त हो चुकी है । वर्तमान में पथ क्षतिग्रस्त है । इस पथ में पॉट्स बन गये हैं । इस संबंध में जाँच प्रतिवेदन की माँग की जा रही है ।

कार्रवाई करना

ग्राम्य-33.--**श्री रमेश ऋषिदेव**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत लालपुर से शंकरपुर जाने वाली पथ में तीन पुल वर्ष दिसम्बर, 2014 में बन गया है तथा उक्त पुल के निर्माण में प्राक्कलन के अनुसार सिमेंट, बालू एवं छड़ का उपयोग नहीं होने से तीनों पुल में दरार आ गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुल के निर्माण में प्राक्कलन के अनुसार कार्य नहीं करने वाले संवेदक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन तीन पुल के हेड वाल में हेयर क्रेक दृष्टिगोचर हुआ है । संवेदक को हेड वाल तोड़कर पुनः निर्माण कराने का निदेश दिया गया है जिसके अनुपालन में संवेदन द्वारा हेड वाल को तोड़कर पुनः निर्माण कराया जा रहा है । योजना का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है बल्कि कार्य प्रगति पर है । कार्य कराने के समय अगर कोई त्रुटि पायी जाती है तो त्रुटि के निराकरण संवेदक द्वारा कार्य के दरम्यान किया जाना है ।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य-334--**श्री रमेश ऋषिदेव**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत शंकरपुर प्रखण्ड के कल्हुआ से तेलियारही जानेवाली सड़क का फरवरी, 2015 में निर्माण कार्य पूरा होना था, लेकिन अभीतक पूरा नहीं किया गया है, लेकिन जितनी सड़क बची है टूटना शुरू हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार उपरोक्त सड़क का निर्माण करवाने वाले संवेदक पर कार्रवाई करते हुये सड़क का निर्माण कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन है । उक्त में सभी पुल/पुलियों का निर्माण कार्य एवं पी०सी०सी० का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । सड़क पर आवागमन जारी रहने के कारण पूर्व में कराये गये डब्लू०बी०एम० ग्रेड II कार्य में क्षय हो रहा है । ग्रेड II का कार्य प्रगति में है एवं निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु संबंधित संवेदक को निदेश निर्गत है । योजना पूर्ण होने के पूर्व ही क्षतिग्रस्त भाग में सुधार करा लिया जायेगा । सड़क की कुल लम्बाई 4.34 कि०मी० है । संवेदक द्वारा जून, 2015 में कार्य पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया है।

सड़क को बनाना

पथ-76.--**श्री रामेश्वर प्रसाद**--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के नोखा प्रखण्ड अन्तर्गत बन रहे बाजार समिति बाईपास सड़क का निर्माण कार्य लगभग 4 वर्ष पहले कराया जा रहा था, लेकिन 20 प्रतिशत ही कार्य कराकर छोड़ दिया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क को बनाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि इस पथ का वास्तविक नाम नोखा-नूनसारी बाईपास पथ है, जिसकी लम्बाई 1.35 कि०मी० है । इस पथ में IRQP कार्य हेतु मेसर्स आर०के० कन्सट्रक्शन, एम०जी० रोड, बाईपास चौक, औरंगाबाद के साथ एकरारनामा संख्या (33 f 2 व f 2011-12) किया गया था एवं कार्य प्रारम्भ करने हेतु दिनांक 6 मार्च, 2012 को कार्यादेश निर्गत किया गया था । एकरारनामा के शर्त के अनुसार कार्य समाप्ति की अवधि मात्र तीन महीने यानी 5 जून, 2012 तक थी। संवेदक द्वारा ससमय कार्य पूरा नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता, डेहरी-ऑन-सोन के ज्ञापांक 2125, दिनांक 26 जुलाई, 2012 द्वारा मो० रु० 33,297.00 (तेतीस हजार दो सौ संतानवे) रुपये मात्र का Penalty संवेदक को किया गया एवं कार्यालय आदेश ज्ञापांक 2543, दिनांक 6 अक्तूबर, 2012 द्वारा संवेदक को भविष्य में होने वाली निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) कर दिया गया, जिसके विरुद्ध संवेदक द्वारा Arbiteration Court में केस नं० 91/2012, दिनांक 26 नवम्बर, 2012 दायर किया गया । रिफरेन्स कोर्ट में आदेश के अनुपालन में इनके द्वारा समर्पित शपथ पत्र के आलोक में संवेदक को 10 जनवरी, 2013 को कार्य समाप्त कर देना था, किन्तु उक्त तिथि तक WMM कार्य समाप्त नहीं किया जा सका । फलस्वरूप पथ प्रमण्डल, डिहरी के ज्ञापांक 92, दिनांक 19 जनवरी, 2013 द्वारा उक्त एकरारनामा को Resind कर जमानत की राशि रु० 3.5 लाख (तीन लाख पचास हजार) रुपये जब्त करने का आदेश दिया गया एवं कार्यपालक अभियंता के ज्ञापांक 402, दिनांक 3 अप्रील, 2013 के द्वारा उक्त संवेदक के निबंधन को काली सूची में डालने की अनुशंसा कर दी गई । समीक्षा के क्रम में पाया गया कि काली सूची में डालने की कार्रवाई नहीं की गई है । अत: निम्नलिखित आदेश दिये गये हैं:--

(1) अभियंता प्रमुख संबंधित सहायक को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही चलायें ।

(2) अभियंता प्रमुख संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी को अविलम्ब स्थानान्तरित करें ।

(3) अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता कार्यालय के प्रशाखा पदाधिकारी को अविलम्ब स्थानान्तरित करें।

(4) कार्यपालक अभियंता के अनुशंसा/पत्र के आलोक में संवेदक को काली सूची में डालने की यथोचित कार्रवाई तत्काल करें ।

उक्त आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा रेफरेन्स वाद संख्या 70/2013 दायर किया गया, जिसमें प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कर दिया गया है, जिसका ओथ संख्या 5012, दिनांक 18 नवम्बर, 2013 है ।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राथमिकता के आधार पर कार्य योजना में सम्मिलित कर विचार किया जायेगा ।

सड़क बनाना

ग्राम्य-243--**श्रीमती सुखदा पाण्डेय**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के बक्सर प्रखण्ड में ग्राम-सोनवर्षा से दुल्लहपुर तक जानेवाली मुख्य सड़क अत्यंत जर्जर स्थिति में है तथा इसके निर्माण का कार्य वर्ष 2012 से ही अधूरा है;

(2) यदि हाँ,तो सरकार उक्त सड़क को बनाने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ बक्सर जिलान्तर्गत सदर प्रखण्ड के ग्राम-सोनवर्षा से दुल्लहपुर तक जाती है । इस पथ का निर्माण केन्द्रीय एजेंसी एन०पी०सी०सी० द्वारा कराया जा रहा है । संबंधित संवेदक द्वारा कार्य अधूरा छोड़ देने के कारण वर्ष 2012 में इसे टर्मिनेट कर दिया गया है । परियोजना प्रबंधक एन०पी०सी०सी० द्वारा जानकारी दी गयी है कि प्रश्नाधीन पथ कार्य को पूर्ण कराने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन भारत सरकार को प्रस्तावित है । स्वीकृति के उपरान्त निर्माण संबंधित अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

सड़क को बनाना

ग्राम्य-242.--**श्रीमती सुखदा पाण्डेय**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के बक्सर प्रखण्ड के ग्राम-चुरामनपुर से अर्जुनपुर तक जानेवाली सड़क अत्यंत जर्जर होकर गड्ढों में तबदील हो गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क चार-पाँच गाँवों से होकर गुजरती है, जिसके कारण हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क को बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 3.50 कि०मी० है, जो आरा-बक्सर एन०एच० 84 के चुरामनपुर से दरहपुर होते हुये अर्जुनपुर तक जाती है । इसका निर्माण मुख्यमंत्री जिला विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2007 में कराया गया था । प्राथमिकता क्रमानुसार एवं संसाधन की उपलब्धता के आधार पर इसकी मरम्मती करायी जा सकेगी ।

पुलों का जीर्णोद्धार

ग्राम्य-256.--**श्री सबा जफर**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत अमौर प्रखण्ड के सहनगाँव, तियड़पारा सड़क पर पड़ने वाली परमाण्न नदी पर तियड़पारा के निकट एवं प्रखण्ड बैसा के अन्तर्गत पी०डब्लू०डी० सड़क बैसा से मजगामा पी०डब्लू०डी० पी०एम०जी०एस०वाई० सड़क पर दोमोहानी के निकट कनकई नदी पर बने स्क्रू पाईल ब्रिज की स्थिति पिछले पाँच वर्षों से जर्जर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुलों के जीर्णोद्धार का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन दोनों पुलों की स्थिति खराब है परन्तु आवागमन चालू है । दोनों पुलों पर Wearing Coat (बेयरिंग कोट) की मरम्मती परमान नदी पर तियरपाड़ा के निकट तथा बैसा से मजगामा पी०एम०जी०एस०वाई० सड़क पर दोमुहानी के निकट कनकई नदी पर बने स्क्रू पाईल ब्रिज के पहुँच पथ के दोनों तरफ Boulder Pitching Work (बोल्डर पिचिंग वर्क) की मरम्मती -की आवश्यकता है । संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता से उक्त पुलों की मरम्मती के लिये प्राक्कलन समर्पित करने का निदेश दिया गया है । तदोपरान्त निधि की उपलब्धता के आधार पर इसके मरम्मती पर अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

कार्रवाई करना

पथ-91.--श्री सुबाष जफर--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज से बेतिया को जोड़े जाने हेतु गंडक नदी पर बन रहे महासेतु का निर्माण बाईब्रेटर मशीन का उपयोग किये बिना एवं अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखे बिना किये जाने के कारण बीमा की ढ़लाई के 22 दिनों बाद छत ढ़ालने के क्रम में बीमा सहित छत गिर गयी, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मामले की जाँच कराकर कार्रवाई करने एवं प्राक्कलन की विशिष्टियों के अनुरूप महासेतु का निर्माण कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज से बेतिया जोड़ने वाली गंडक नदी पर निर्माणाधीन महासेतु के स्पैन सं० 2 के डेक स्लैब के ढ़लाई के समय गंडक नदी के जल स्तर में अचानक करीब तीन फीट की बढ़ोतरी होने के कारण स्पैन के नीचे किया गया बल्ला पाईलिंग कुछ हिस्से में Sink हो गया, इस कारण स्पैन बीच से झुक गया । उस समय छत ढ़लाई का कार्य किया जा रहा था। लगभग दो तिहाई ढ़लाई कार्य किया जा चुका था, शेष प्रगति पर था । स्पैन के Bottom Slab एवं Web की ढ़लाई की जा चुकी थी । निरूपन के अनुसार Bottom Slab एवं Web के Cable Stressing का कार्य छत ढ़लाई के बाद किया जाना है । ढ़लाई के समय भाईब्रेटर मशीन का उपयोग किया गया था । ढ़लाई कार्य एवं पुल निर्माण कार्य सभी विशिष्टियों के अनुरूप किया जा रहा है । इस स्पैन के किसी भी कार्य के विपत्र का भुगतान संवेदक को नहीं किया गया है, संवेदक अपने खर्च पर पुनः स्पैन का कार्य कर रहा है । इस घटना की जाँच हेतु पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना सं० मु०अ०(अनु०) जाँच (पुल) 2/2015-2273 (एस०) पटना, दिनांक 13 मार्च, 2015 द्वारा एक उच्चस्तरीय त्रिसदस्यीय तकनीकी समिति का गठन किया गया है। समिति में पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उप-भाग, निदेशक, परीक्षण एवं शोध संस्थान तथा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के उप-मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार नामित हैं । समिति को एक माह के अन्दर प्रतिवेदन देने को कहा गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जायेगी।

सड़क की चौड़ाई बढ़ाना

पथ-108.--श्री सतीश कुमार--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना शहर अन्तर्गत पटना-गया लाइन के किनारे से गुजरने वाली पटना-पुनपुन सड़क जयप्रकाश नगर स्थित सिपारा रेलवे पुल (एन०एच० 30) के नीचे स्थित दुर्गा मंदिर के निकट एन०एच० 82 से मिलती है;

(2) क्या यह बात सही है कि सिपारा रेलवे ओभर ब्रीज के नीचे पटना-पुनपुन सड़क के काफी संकीर्ण होने के कारण वहाँ हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जाम की समस्या से निपटने हेतु सिपारा पुल के नीचे किये गये अतिक्रमण को हटाकर वहाँ सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पटना शहर अन्तर्गत पटना-गया लाइन के किनारे से गुजरने वाली पटना-पुनपुन सड़क जयप्रकाश नगर स्थित सिपारा रेलवे (NH-30) के नीचे स्थित दुर्गा मंदिर के निकट NH 83 से मिलती है न कि NH 82 से ।

(2) स्वीकारात्मक । सिपारा रेलवे ओवर ब्रीज NH 30 पर अवस्थित है जो NHAI को हस्तानांतरित है । NHAI द्वारा वर्तमान में 2 लेन रेलवे ओभर ब्रीज को 4 लेन किया जा रहा है । रेलवे ओभर ब्रीज के

अन्डरपास में पूरब तरफ पटना-गया लाइन एवं पश्चिम तरफ से सड़क मार्ग है । रेलवे लाइन एवं सड़क मार्ग को रेलवे द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से चहारदीवारी देकर अलग-अलग कर दिया गया है, जिसमें अन्डरपास के दक्षिणी छोर पर निर्माणाधीन 2 लेन के नीचे पीलर के पास सड़क की चौड़ाई 4.8 मीटर रह गई है, जिसके कारण 2वे ट्राफिक में कभी-कभी जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है ।

(3) अतिक्रमण हटाकर तथा निर्माणाधीन ROB के नीचे सड़क की चौड़ाई बढ़ाने हेतु NHAI के क्षेत्रीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया है । NH 83 के 4 लेनिंग का कार्य NHAI के द्वारा कराया जाना है, जिसमें NH-83 के इस पथांश के लिये बाईपास का निर्माण स्वीकृत है, जो NH 30 के नये मार्गरेखन (पटना-आरा-बक्सर) में नथ्थुपुर के निकट (तीसरे कि०मी०) से प्रारम्भ होगी । बाईपास के निर्माण होने पर इस भाग में यातायात का दबाव स्वत: कम होगा, जिससे जाम की समस्या भी कम होगी ।

पुल का निर्माण

पथ-47.--**श्री संजय सिंह 'टाईगर'**--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना-आरा पथ (एन०एच०30) एन०एच०डी०पी० फेज-III में चार लेन तथा कोईलवर में चार लेन पुल स्वीकृत है, जिसका निर्माण वर्ष 2015 तक पूर्ण होना था, परन्तु अभीतक कार्यारम्भ नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त पथ एवं पुल का निर्माण कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पटना-आरा-बक्सर NH 30+NH 84 NHAI को हस्तांतरित है, जिसका चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण तथा रख-रखाव का कार्य NHAI के जिम्मे है । पटना-आरा पथ का पलेनिंग किया जाना है । NHAI के पदाधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि पूरा पथांश पटना से बक्सर तक के लिये कार्य पटना-बक्सर हाईवेज लि० (गैमन इंडिया) को आवंटित किया गया था जिसका एकरारनामा दिनांक 2 फरवरी, 2012 को किया गया तथा परियोजना का कार्य फरवरी, 2015 में पूर्ण करना था । NHAI द्वारा सूचित किया गया है कि संवेदक द्वारा कार्य आरम्भ नहीं किये जाने के कारण NHAI द्वारा एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया एवं पटना से बक्सर तक के पथांश को 3 पैकेजों में बाँट कर (जिसमें पैकेज 2 में कोईलवर के निकट सोन नदी पर पुल का निर्माण प्रस्तावित है) Hybrid Annuity Mode पर निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिसके Model Concession Agrreement को अंतिम रूप NHAI द्वारा दिया जा रहा है, जिसके उपरांत ही निविदा की कार्रवाई की जा सकेगी । निविदा के उपरांत कार्य आंवटित होने पर तीन साल के अन्दर पथ एवं पुल का निर्माण कार्य सम्पन्न किया जा सकेगा ।

ब्रिज का कार्य प्रारम्भ करना

पथ-90.--**श्री संजय सरावगी**--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा शहर के दोनार चौक पर रेलवे गुमटी नं० 25 पर रेल ओवर ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति तीन वर्ष पूर्ण हो गई थी तथा रेल ओवर ब्रिज का शिलान्यास दिसम्बर, 2013 में ही गया था, लेकिन काम अभीतक प्रारम्भ नहीं हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त रेल ओवर ब्रिज नहीं बनने के कारण दोनार चौक पर भारी ट्रेफिक जाम की समस्या बनी रहती है;

(3) यदि एपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त रेल ओवर ब्रिज का कार्य प्रारम्भ करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । शिलान्यास की सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) रेलवे गुमटी नं० 25Spl. पर ROB के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा रेलवे को 50:50 प्रतिशत के कॉस्ट शेयर के आधार पर सहमति दे दी गयी है जिसके अनुसार रेलवे लाइन के ऊपर पुल का निर्माण रेलवे द्वारा तथा पहुँच पथ का निर्माण राज्य सरकार द्वारा कराया जाना है । पुल का निर्माण होते ही पहुँच पथ का निर्माण करा दिया जायेगा ।

पथ में नाला निर्माण कराना

पथ-97.--**श्री सुरेश कुमार शर्मा**--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर शहर अन्तर्गत बैरिया गोलम्बर से लक्ष्मी चौक तक की सड़क पूर्व से पथ निर्माण विभाग की सड़क है;

(2) क्या यह बात सही है कि सड़क किसी भी तरफ से नालों की व्यवस्था नहीं है, जिससे सैंकड़ों घरों में हमेशा पानी लगा रहता है तथा महामारी फैलने की आशंका रहती है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पथ में यथाशीघ्र नाला निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है । मुजफ्फरपुर शहर अन्तर्गत बैरिया गोलम्बर से लक्ष्मी चौक तक की सड़क (लम्बाई 1.00 कि०मी०) मुजफ्फरपुर ओल्ड मोतिहारी पथ का पथांश है, जिसकी कुल लम्बाई 8.00 कि०मी० है ।

(2) पथ के इस पथांश में पथ के किनारे पक्का नाला निर्मित नहीं है । बरसात के समय पथ पर नहीं बगल में कच्चा नाला में जल-जमाव होता है ।

(3) नाला निर्माण एवं जल निकासी हेतु मुजफ्फरपुर नगर निगम को पत्र लिखने हेतु कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया जा रहा है ताकि जल-जमाव से निजात पाया जा सके ।

पथ का निर्माण

पथ-103--**श्री सुरेश कुमार शर्मा**--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर शहर स्थित चक्कर मैदान रेस कोर्स में अविनाश बाबू के घर से भाया प्रभात तारा स्कूल होते हुये अशोक कुमार, अभियंता के घर तक की पथ पूर्व से विभाग में अधिगृहित है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित पथ एवं नाला अत्यंत जर्जर है, उक्त पथ में शहर का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव तारा बालिका उच्च विद्यालय है;

(3) क्या यह बात सही है कि जर्जर सड़क होने के कारण आम लोगों के साथ-साथ छात्राओं को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) (2) (3) एवं (4) यह पथ, पथ निर्माण विभाग के अधीन नहीं है बल्कि यह पथ सेना के अधीन है । यह पथ मुजफ्फरपुर शहर में चक्कर मैदान के बाहरी भाग में है जिसपर प्रभात तारा स्कूल, D.I.G का आवासीय भवन, आयुक्त, मुजफ्फरपुर का आवासीय भवन, पथ निर्माण विभाग की कॉलोनी, NH का निरीक्षण भवन, जिला अतिथि गृह (Circuit House) अवस्थित है ।

इस पथ के निर्माण हेतु भारतीय सेना के अधिकारियों से NOC की माँग की गई थी, जिसके आलोक में P. Dhaundiyal Lt. Col Offg. Adm Comdt ने अपने पत्रांक 1102/RQ, दिनांक 9 अप्रील, 2015 द्वारा सूचित किया है कि NOC निर्गत नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त पथ के निर्माण हेतु MES, दानापुर कैन्ट द्वारा निविदा की प्रक्रिया की जा चुकी है ।

पथों में पोलों को सुव्यवस्थित करना

पथ-98.--श्री सुरेश कुमार शर्मा--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर शहर अन्तर्गत पथ निर्माण विभाग के कार्य प्रमंडल-1 द्वारा पावर हाउस चौक से सकरी तक एवं बनारस बैंक चौक से भाया कच्ची-पक्की, केरमा तक पथ का निर्माण कराया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि पथ निर्माण के क्रम में ही सभी बिजली के पोल जो सड़क के किनारें मध्य में है, उसे सड़क के किनारे करने की योजना थी, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित पथों में यथाशीघ्र सभी पोलों को सुव्यवस्थित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है । पथ प्रमण्डल सं०-1, मुजफ्फरपुर द्वारा नाबार्ड योजना से उक्त दोनों पथों का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कराया जा रहा है ।

(2) पथ के चौड़ीकरण हेतु पथ के चौड़ीकरण भाग में पड़ने वाले बिजली पोल एवं तार को पथ के किनारे Shift (Pole Shifting) करने का प्रावधान है । पथ निर्माण के साथ-साथ Pole Shifting का कार्य भी प्रगति में है । विद्युत् विभाग से Shut down कम समय के लिये मिलने के कारण विद्युत् तार Shifting कार्य की प्रगति प्रभावित होती है जिसे गति देने हेतु विद्युत् विभाग को लिखा जा रहा है ।

(3) वित्तीय वर्ष 2015-16 में पथ निर्माण के साथ-साथ विद्युत् पोलों एवं तार के Shifting का कार्य पूर्ण करा लेने का लक्ष्य है ।

पथ का पक्कीकरण

पथ-84.--श्री सत्यदेव नारायण आर्य--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के सिलाव एवं गिरियक प्रखण्डान्तर्गत नालन्दा से पावापुरी को मिलाने वाली पथ का प्राक्कलन बनाकर पूरी प्रक्रिया पूरा कर निर्माण हेतु वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में ही टेंडर निकाला गया, परन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पथ का पक्कीकरण करना चाहती है ?

प्रभारी मंत्री--नालन्दा से पावापुरी को मिलाने वाली पथ वस्तुत: नालन्दा जिलान्तर्गत सिलाव-गिरियक पथ की कुल लम्बाई 10.77 कि०मी० है, जिसे नाबार्ड योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु टेंडर किया गया था जिसका कार्यान्वयन वर्ष 2014-15 में प्रारम्भ किया गया है तथा वर्तमान में यह कार्य प्रगति में है इस कार्य की एकरारनामा की राशि रु० 1550.31979 लाख (पन्द्रह करोड़ पचास लाख एकतीस हजार नौ सौ उन्नासी) रुपये मात्र है कार्य प्रारम्भ की तिथि 11 नवम्बर, 2014 है कार्य पूर्ण की तिथि 10 फरवरी, 2016 है । कार्य की भौतिक प्रगति-E/W-6.0km, GSB-4.00 km, WMM-2.70 km, PQC-0.215 km, CD-1, Drain-500 m कुण्डलपुर (नालन्दा मोड़) से पावापुरी पथ MDR पथ है, जो OPRMC योजना के पैकेज संख्या 63 के अधीन कार्यान्वित हो रहा है । इस पथ की कुल लम्बाई 12.07 कि०मी० है तथा पथ की स्थिति अच्छी है ।

सड़क की मरम्मती

पथ-79.--श्री श्याम बिहारी राम--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के रोहतास प्रखण्डान्तर्गत अकबरपुर ग्राम से जारादाग तक की सड़क एन०एच०टू०सी० का भाग है जो जर्जर अवस्था में है और आजतक नहीं बन पायी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जर्जर सड़क की मरम्मती कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि अकबरपुर से यदुनाथपुर होते हुये दो पथ जाती है, जिसमें अकबरपुर-नौहटा होते हुये यदुनाथपुर तक का पथांश MDR पथ जिसकी लम्बाई 40 कि०मी० है यह पथ अकबरपुर से यदुनाथपुर तक सोन नदी के किनारे है । दूसरा पथ अकबरपुर से डबुआमोड़-चुटिया-यदुनाथपुर-जरदाग होते हुये डुमरखोह तक का पथांश NH-2C का भाग है, जिसकी लम्बाई 53 कि०मी० है । अकबरपुर से चुटिया-यदुनाथपुर-जरदाग होते हुये डुमरखोह तक के पथ क्रस्ट की चौड़ाई 3.75 मीटर है एवं अकबरपुर से वंशीनाला (80.00 कि०मी०) तक पथ की स्थिति लगभग सामान्य है । कहीं-कहीं पौट्स उभर आये हैं । कि०मी० 80 से 93 तक वंशीनाला से डुमरखोह तक पथ की स्थिति खराब है एवं 3 जगहों पर पुराना पुलिया ध्वस्त हो जाने के कारण आवागमन में कठिनाई होती है । अकबरपुर से चुटिया-यदुनाथपुर-जगदाग-डुमरखोह का पथांश जंगल से होकर गुजरती है एवं कैमूर पहाड़ी के बगल/नीचे से यह पथ गुजरती है । इस पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु 160.71 करोड़ (एक अरब साठ करोड़ एकहतर लाख) रुपये का DPR सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2012 में परामर्शी से तैयार कराया गया है तथा स्वीकृति के पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु प्रस्ताव वन विभाग को समर्पित किया गया था, परन्तु यह पथांश सुरक्षित वन क्षेत्र में होने एवं कई गाँव कैमूर Wild life Century में पड़ने के कारण अनापत्ति प्रमाण-पत्र वन विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया गया ।

वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के पत्रांक FC-91, दिनांक 13 फरवरी, 2015 के आलोक में कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, गया को पुनरीक्षित प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश दिया गया है ।

वन विभाग से Wild life Century एवं सुरक्षित वन क्षेत्र का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी ।

पुल का निर्माण

पथ-95.--श्री श्याम बिहारी राम--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत नौहट्टा प्रखण्ड के पहुका गाँव के समीप सोन नदी पर पुल बनाने की योजना वर्ष 2011 से पुल निर्माण निगम अन्तर्गत राजकीय कमिटी के पास विचाराधीन है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पुल बन जाने पर झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार के बड़े भू-भाग के लोगों को यातायात में सुविधा होगी;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुल का निर्माण पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा प्रश्नाधीन योजना के निर्माण के लिये संभाव्यता प्रतिवेदन (Feasibility Report) पथ निर्माण विभाग में समर्पित किया गया है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना से प्रश्नाधीन योजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) की माँग की गयी है । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) की प्राप्ति के पश्चात् विभाग द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

योजना से वंचित रखना

सामु-31.--श्री श्याम बिहारी प्रसाद--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1993-94 से राज्य के बी०पी०एल० परिवारों को इंदिरा आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जीर्णोद्धार योजना के तहत 1996 से 2004 के बीच के इंदिरा आवास योजना के लाभुकों को राशि उपलब्ध करायी जा रही है, जबकि 1993-94 के इंदिरा आवास योजना के लाभुकों को इस योजना से वंचित रखा गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो वर्ष 1993-94 के इंदिरा आवास योजना के लाभुकों मुख्यमंत्री जीर्णोद्धार योजना से वंचित रखने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि इंदिरा आवास योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है । इसके अन्तर्गत गरीब बी०पी०एल० परिवारों को आवास निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है । वर्ष 1985 से आर०एल०ई०जी०पी० की उप-योजना के रूप में इंदिरा आवास का निर्माण गरीब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों हेतु किया जाता था । इसे 1993-94 में विस्तारित करते हुये सभी वर्गों के गरीबों के लिये लागू किया गया । इंदिरा आवास योजना स्वतंत्र रूप से 1 जनवरी, 1996 से गृह निर्माण के लिये सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु लागू की गयी है ।

(2) स्वीकारात्मक है । मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना 1 अप्रील, 2004 के पूर्व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों के अर्द्धनिर्मित/अधूरे आवासों को पूर्व कराने हेतु लागू किया गयी है । 1 जनवरी, 1996 के पूर्व निर्मित आवासों को इसमें शामिल नहीं किया गया है ।

(3) कंडिका (1) एवं (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अवैध कर वसूली पर रोक

पथ-61.--श्री (मो0) तौसिफ आलम--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के बहादुरगंज-किशनगंज पथ में नटुआ पाड़ा में लगे बेरियर की डाक अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी पुल कर की वसूली की जाती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विषय का उच्चस्तरीय जाँच करवाकर उक्त पुल का अवैध कर वसूली को रोकने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल पर वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये पथकर वसूली हेतु दिनांक 14 फरवरी, 2014 को जिला पदाधिकारी, किशनगंज के द्वारा नामित दण्डाधिकारी की उपस्थिति में समाहरणालय परिसर में नीलामी की गई थी । नीलामी के उपरान्त उच्चतम डाक की राशि रु० 17,31,000/- (सतरह लाख एकतीस हजार) रुपये पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर निगम के पत्रांक 1014, दिनांक 31 मार्च, 2014 द्वारा श्री बलराम सिंह, ग्राम-अरार घाट, मधेपुरा को दिनांक 31 मार्च, 2014/1 अप्रील, 2014 की मध्य रात्रि से दिनांक 31 मार्च, 2015/1 अप्रील, 2015

की मध्य रात्रि तक सरकार द्वारा निर्धारित पथकर की दर पर पथकर वसूली हेतु प्राधिकृत किया गया था । पुनः वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये दिनांक 13 फरवरी, 2015 को समाहरणालय, किशनगंज में नीलामी कराई गई और उसमें श्री बलराम सिंह, मधेपुरा को उच्चतम डाक की राशि रु० 19,06,600/ (उन्नीस लाख छः हजार छः सौ) रुपये की सरकार से स्वीकृति के उपरान्त निगम के पत्रांक 1082, दिनांक 29 मार्च, 2015 द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2015/1 अप्रील, 2015 की मध्य रात्रि से दिनांक 31 मार्च, 2016/ 1 अप्रील, 2016 की मध्य रात्रि तक पथकर हेतु प्राधिकृत किया गया है । इस तरह इस पुल पर वैद्य रूप से ही पथकर वसूली की जा रही है ।

जाम से मुक्ति

पथ-60.--श्री तारकिशोर प्रसाद--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार नगर निगम क्षेत्र में अत्यधिक यातायात का भार होने के कारण शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कटिहार-प्राणपुर-रोशना हाट, एम०डी०आर० पथ पर जाम से मुक्ति हेतु का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--कटिहार-प्राणपुर-रोशन हाट पथ की कुल लम्बाई 27.00 कि०मी० है, जिसका 19.00 कि०मी० पथांश एन०एच० 81 में चले जाने के पश्चात् अब इस पथ का मात्र 8.00 कि०मी० पथांश MDR पथ, पथ प्रमण्डल, कटिहार के अधीन है । इस पथ का 0 से 2.30 कि०मी० पथांश (महमुद चौक तक) घनी आबादी वाले कटिहार नगर निगम क्षेत्र पड़ता है, जिसका 1.25 कि०मी० पथांश 7.00 मीटर से 10.50 मीटर तक चौड़ी पक्की पथ है एवं 1.05 कि०मी० 5.50 मीटर चौड़ी पथ है । पथ की चौड़ाई पर्याप्त है । इस पथांश में पथ के दोनों ओर दुकान, BSNL कार्यालय, पोस्ट ऑफिस एवं मंडी रहने के कारण एवं पथ के फ्लैंक पर अनधिकृत सब्जी आदि का दुकान दिन भर लगा रहने के कारण दोनों तरफ लगभग 2-2 मीटर अतिक्रमण रहता है एवं इसी कारण जाम की स्थिति बनी रहती है ।

पथ के फ्लैंक से सब्जियों की दुकानों को इस स्थल से हटवा देने से जाम की समस्या समाप्त हो जायेगा । कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, कटिहार के पत्रांक 413, दिनांक 26 मार्च, 2015 द्वारा जिला प्रशासन को पथ के फ्लैंक से सब्जी की दुकानों को हटवाने हेतु लिखा गया है ।

नाला का निर्माण

पथ-17.--श्रीमती (डॉ0) उषा विद्यार्थी--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पालीगंज प्रखण्ड अन्तर्गत इमामगंज बाजार होते हुये एन०एच० 110 गुजरती है जिसके किनारे नाला नहीं होने के कारण खासकर बरसात के दिनों में जल-जमाव हो जाता है जिससे आम जनता को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार इमामगंज बाजार पर एन०एच० 110 के किनारे नाला निर्माण कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि एन०एच० 110 के कि०मी० 79 में इमामगंज पड़ता है, जो पटना जिला के पालीगंज प्रखण्ड में है । बाजार में दुकानदारों द्वारा कहीं-कहीं फ्लैंक में मिट्टी भरकर ऊँचा कर दिये जाने के कारण बरसात में आंशिक रूप से जल-जमाव हो जाता है, जिसे समय-समय पर कच्चा नाला काटकर पानी को निकाला जाता है । इमामगंज बाजार भाग में जल-जमाव के कारण 415 मीटर लम्बाई में पी०सी०सी० पथ का निर्माण किया गया है, जिसकी स्थिति सामान्य है । इस पथांश में नाला निर्माण हेतु डी०पी०आर० सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा जा रहा है जहाँ से स्वीकृति प्राप्त होते ही नाला निर्माण करा दिया जायेगा ।

नाला का निर्माण

पथ-16--श्रीमती (डॉ0) उषा विद्यार्थी--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पालीगंज होते हुये बिहटा-औरंगाबाद राज्य पथ गुजरती है, जिसके दोनों ओर पालीगंज बाजार में नाला नहीं होने के कारण जल निकासी नहीं हो रही है जिससे आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त राज्य पथ पर बसे पालीगंज बाजार में नाला निर्माण करने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--यह पथ OPRMC के अन्तर्गत है । वस्तुस्थिति यह है कि पालीगंज बाजार में कुल 860 मीटर में नाला की आवश्यकता है जिसमें कुछ अंशों (210 मीटर) में नाली उपलब्ध है । शेष अंश कुल 650 मीटर लम्बाई में नाला का कार्य OPRMC के अन्तर्गत प्रावधानित Emergency के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूर्ण कराने का लक्ष्य है ।

सड़क की मरम्मती

ग्राम्य-68--श्रीमती (डॉ0) उषा विद्यार्थी--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पालीगंज प्रखण्ड अन्तर्गत फतेहपुर से मदारी पथ का निर्माण 5 वर्ष पूर्व हुआ था, जो पिछले तीन वर्षों से अत्यंत जर्जरवस्था में है;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस सड़क की मरम्मती का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 4.70 कि०मी० है । मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में दिनांक 4 मई, 2010 को इस पथ का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया था । इसके संबंध में निजी रैयती भूमि का विवाद उत्पन्न हुआ है तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एम०जे०सी० संख्या 588/2015 प्रवीण कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य विचाराधीन है । माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्याय निर्णय के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकी ।

सड़क का निर्माण

ग्राम्य-67.--श्रीमती (डॉ0) उषा विद्यार्थी--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पालीगंज प्रखण्ड अन्तर्गत पालीगंज-महाबलीपुर पथ से एक सड़क निकलकर एन०एच० 98 के करकट बिगहा में मिलती है, जो अत्यंत जर्जर है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित सड़क की मरम्मती की शुरूआत वर्ष 2009-10 में करने के बावजूद इसका मरम्मती कार्य आजतक नहीं पूर्ण हो सका है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क के निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत केन्द्रीय एजेंसी (NPCC) के द्वारा कराया जा रहा है । इस पथ के संवेदक सिमेन्स कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा

ससमय कार्य नहीं किये जाने के कारण एकरारनामा की कंडिका सं० 51 (1) के आलोक में पत्रांक बी०जेड०ओ०-77108/786, दिनांक 30 अगस्त, 2013 के द्वारा विखण्डित कर दिया गया है। शेष कार्य को पूरा करने हेतु वर्तमान दर से प्राक्कलन तैयार कर अनुमोदन हेतु निदेशक, (आर०सी०), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को पत्रांक बी०जेड०ओ० 30023/498, दिनांक 29 जुलाई, 2014 के द्वारा भेज दिया गया है। अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त निविदा आमंत्रित कर शेष कार्य को पूरा करा लिया जाने का उल्लेख (NPCC) के पत्रांक 1226, दिनांक 26 फरवरी, 2015 में किया गया है।

पुल एवं डायवर्सन बनाना

ग्राम्य-240.--**श्री विजय कुमार सिन्हा**--क्या मंत्री, ग्रमीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत बड़हिया प्रखण्ड के सदाय बिगहा गाँव में लगभग 3 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस पुल के निर्माण के पूर्व डायवर्सन का निर्माण नहीं किया गया है इससे ग्रामवासियों को बरसात में गाँव से निकलने का कोई विकल्प नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुल बनाने के साथ-साथ डायवर्सन बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत लखीसराय जिला के बड़हिया प्रखण्ड के सदाय बिगहा से धोबी घाट पथ में पुल का निर्माण कार्य दिसम्बर, 2013 से प्रारम्भ होकर पुल का निर्माण कार्य माह जनवरी, 2015 में पूर्ण हो चुका है, किन्तु पहुँच पथ का कार्य अभी पूर्ण नहीं हो पाया है।

(2) अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पुल निर्माण के पूर्व प्राक्कलन के अनुरूप डायवर्सन का निर्माण कराया गया है। वर्षात के दिनों में डायवर्सन क्षतिग्रस्त होने पर इसकी मरम्मती कराकर डायवर्सन को Motorable बनाये रखा गया है।

(3) वर्तमान में भी डायवर्सन चालू हालत में है एवं वाहनों का आवागमन हो रहा है। पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। पहुँच पथ में मिट्टी कार्य भी पूर्ण हो चुका है। पहुँच पथ का शेष कार्य दिनांक 31 मई, 2015 तक पूर्ण हो जायेगा।

स्टेट हाइवे का निर्माण

पथ-105.--**श्री विनय बिहारी**--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेतिया जिला के बेतिया, मनुआ पुल से योगपट्टी, नवलपुर, चुड़िहरवा होते हुये रतवल महात्माबुद्ध सेतु तक स्टेट हाईवे का निर्माण कराने की वर्ष 2011-12 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित सड़क का निर्माण नहीं होने से बिहार एवं उत्तर प्रदेश से सम्पर्क हो जायेगा;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के (1) एवं (2) उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्टेट हाईवे का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है। माननीय मुख्यमंत्री, बिहार श्री नीतीश कुमार द्वारा रतवल-धनहा पुल (महात्माबुद्ध सेतु) के उद्घाटन के अवसर पर चौतरवा एन०एच० 28बी० से रतवल तक (लम्बाई 4.25 कि०मी०) तीन अदद् आर०सी०सी० उच्चस्तरीय पुल सहित एवं धनहा तरफ से दौनाहा, करैयाबज,

तमकुहा, कटहर, तौलाहा होते हुये बाँसी (उत्तर प्रदेश सीमा) तक लम्बाई 10.75 कि०मी० यानी दोनों तरफ के पथ की कुल लम्बाई 15.00 कि०मी० निर्माण की घोषणा की गई थी जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है ।

(2) स्वीकारात्मक है । चौतरबा एन०एच० 28बी० से रतवल एवं धनहा से बाँसी सड़क का निर्माण होने से बिहार एवं उत्तर प्रदेश का पुल पर होकर सीधा सम्पर्क हो जायेगा ।

(3) बेतिया, मनुआ पुल से योगापट्टी, नवलपुर, चुड़ियारवा होते हुये रतवल महात्माबुद्ध सेतु तक स्टेट हाईवे का निर्माण से संबंधित कार्रवाई पथ निर्माण विभाग द्वारा विचाराधीन नहीं है ।

कार्रवाई करना

सासु-21.--**श्री विक्रम कुँवर**--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना प्रमंडल के चार जिला क्रमशः पटना, भोजपुर, कैमूर एवं रोहतास में मुख्यमंत्री इन्दिरा आवास जीर्णोद्धार योजना पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण ठप है;

(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो राज्य सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना को कबतक चालू कराने तथा शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति है कि मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना का आरम्भ वित्तीय वर्ष 2014-15 से किया गया है । इस योजनान्तर्गत प्रश्नगत 4 जिलों में लाभार्थियों को चिन्हित कर राशि की स्वीकृति दी जा रही है । स्वीकृत राशि विधिवत पात्र लाभुकों के बैंक खाते में भुगतान किया जाना है । चारों जिलों की स्थिति इस प्रकार है:--

वित्तीय वर्ष 2014-15

जिला का नाम।	चयनित लाभुकों की सं० ।	स्वीकृत लाभुकों की सं० ।	सन्निहित राशि ।	जिला को उपलब्ध आवंटन।	वर्तमान स्थिति ।
पटना	3,155	2,911	873.30 लाख ।	946.50 लाख ।	जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 514, दिनांक 23 मार्च, 2015 द्वारा संसूचित किया गया है कि दिनांक 27 मार्च, 2015 को शिविर निर्धारित कर राशि अंतरण की कार्रवाई की जायेगी ।
भोजपुर (आरा)	2,609	2,609	782.70 लाख ।	201.30 लाख ।	राशि अंतरण की कार्रवाई की जायेगी ।
कैमूर (भभुआ)	1,233	456	136.80 लाख ।	136.80 लाख ।	राशि अंतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।
रोहतास	2,744	2,744	823.20 लाख ।	364.50 लाख ।	राशि अंतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

(2) कंडिका (1) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

निर्माण कार्य पूर्ण कराना

ग्राम्य-102.--**श्री विनोद कुमार सिंह**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत आजमनगर प्रखण्ड के बैरिया पंचायत के बधवा रतन साह के घर से ढेलु चौक होते हुये राजवंशी टोला, मुरवैना तक जानेवाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के शेष भाग 2.5 कि०मी० सड़क का निर्माण नहीं होने के कारण रतनपुर, औलिया, बधवा, मजराही, खोपरा, गढ़वैना, राजवंशी टोला, शर्मा टोला आदि साठ गाँव के चालीस हजार लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार शेष भाग का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति है कि प्रश्नाधीन बसावट रतनपुर, ओलिया, वधवा, मजराही, खोपरा, गढ़वैना, राजवंशी टोला, शर्मा टोला को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित पथ सिंघौल से सोलकंधा लम्बाई 6.3 कि०मी० से सम्पर्कता प्राप्त हो चुकी है । दोहरी सम्पर्कता का मामला होने के कारण वर्तमान में प्रश्नाधीन पथ का निर्माण कराने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

पुल बनाना

ग्राम्य-347.--**श्री विभाष चन्द्र चौधरी**--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बरारी प्रखण्ड के सेमापुर बाजार से मोहना चांदपुर के कुंडी घाट तक एक पक्की सड़क तीन वर्ष पूर्व बनायी गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि मोहना चांदपुर के कुंडी धार पर पुल का निर्माण अबतक नहीं कराये जाने के कारण सेमापुर बाजार से बरारी प्रखण्ड के सीमावर्ती गाँवों में जाने वाले लोगों को आवागमन में परेशानी होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मोहना चांदपुर के कुंडी घाट पर पुल बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन सेमापुर बाजार से मोहना चांदपुर के कुंडी धार तक सड़क पाँच वर्षों से अधिक समय से चरणबद्ध रूप में बनायी गयी है जिसके अधिकांश पथांश की गत वर्ष मरम्मती भी की गई है ।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल की लम्बाई 155.04 मीटर होगी तथा मधुबनी चौक से मोहना चांदपुर सड़क (T01) के कुण्डी धार पर अवस्थित है । उक्त पुल के अप स्ट्रीम में 5.0 कि०मी० पर एवं डाउन स्ट्रीम में 2.4 कि०मी० पर निर्मित पुल अवस्थित है । वर्तमान में प्रश्नाधीन पुल का निर्माण विचाराधीन नहीं है ।

बि०स०मु० (एल० ए०) 81-डी०टी०पी०--400